उद्योग और आधारभूत संरचना

08
अध्याय

''हर संकट के बीच महान अवसर निहित है।

अल्बर्ट आइनस्टाइन

कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को ''सदी में एक बार संकट का सामना करना पड़ा। जिसके फलस्वरूप अरबों लोगों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। उद्योग क्षेत्र भी इस झटके से बच नहीं सका है। लॉकडाऊन के दौरान इसमें भी तेज़ गिरावट का देखी गई। तथापि, जैसे ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई वैसे ही आर्थिक गतिविधियां ठीक होने लगीं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तथा आठ कोर सूचकांक के विभिन्न उप-घटकों में संकटपूर्व स्तरों की तरफ सतत् संचलन के साथ ट आकार का सुधार हुआ। औद्योगिक गतिविधियों का शीघ्र ठीक हो जाना और मज़बूत आधार बनना मुख्यत: उपचारात्मक उपायों, सुधारों तथा भारत सरकार द्वारा आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विशाल प्रोत्साहन पैकेज घोषित करने की वजह से ही संभव हो पाई है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर औद्योगिक गतिविधियां अप्रैल 2020 में -57.3% की गिरावट से सुधरकर नवंबर 2020 में 1.9% तक संकुचित गई हैं। सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि किए जाने, जिसे राजकोषीय नीति अध्याय में रेखांकित किया गया है, टीकाकरण अभियान चलाए जाने तथा लंबे समय से अपेक्षित सुधार उपायों को दृढ़ता से लागू किए जाने से औद्योगिक गतिविधियों में और तेजी एवं दृढ़ता आने की उम्मीद है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि हमारा देश विश्व की उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्होंने सबसे व्यापक सुधार किए हैं।

प्रस्तावना

8.1 वैश्विक महामारी के बीच वित्त वर्ष 2020-21 (थ्रू 21) की शुरूआत हुई। इस महामारी से निपटने के लिए देशों ने अभूतपूर्व उपाय अपनाए जिनसे अर्थव्यवस्था अचानक रूक गई। लाकडाऊन में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को छोड़कर अन्य सभी लोगों व वस्तुओं के स्थानीय व वैश्विक आवाजाही पर लगने वाले प्रतिबंध एक प्रकार के बाह्य झटके जैसा था जिसने अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दीं तथा अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न कर दी इसी कारण से लोगों को आजीविका की भी भारी हानि हुई जिसके परिणामस्वरूप लोग विस्थापित होने लगे। हालांकि चरणबद्ध ढंग से किए जाने वाला अनलॉक अर्थव्यवस्था के संभलने में सहायक सिद्ध हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था को पुन: सशक्त बनाया जाना व्यापार को महत्व देने वाले तथा आजीविकाओं को उत्पन्न करने वाले विभिन्न सुधारक उपायों पर निर्भर करता है। भारत

में ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जहां लेन-देन की लागतों को घटाया जा रहा है, सूक्ष्म मध्यम उद्यमों को सहायता दी जा रही है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा रहा है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रोज़गार सृजन को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस स्थिति को बनाए रखा जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन इसलिए महत्व रखता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्र इसके साथ अनेक प्रकार से जुड़े हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए एक सशक्त औद्योगिक क्षेत्र का होना अपरिहार्य शर्त है। कोई भी पहल जिसका लक्ष्य तेजी से किए जाने वाला सुधार है, उसमें औद्योगिक मामले उसके केंद्र बिंदु होने चाहिए।

8.2 29.87 लाख करोड़ रुपये अथवा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 15% के समकक्ष आकर्षक-उपाय अर्थव्यवस्था को राहत व सहायता देने के लिए समाविष्ट किए गए हैं। इन उपायों के तदनंतर ऐसे प्रयास किए गए जिनसे अर्थव्यवस्था और अधिक मज़बूत होती है। उद्योग और आधारभूत संरचना क्षेत्र से संबंधित प्रोत्साहन पैकेज (सहायता) का विवरण बाक्स-1 में दिया गया है।

बाक्स-1: आत्मनिर्भर भारत अभियान

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत को एक आत्म-निर्भर राष्ट्र बनाने की भारत सरकार की दूरदर्शिता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत धोषणाएं तीन अलग-अलग चरणों में की गई थीं। उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

आत्मनिर्भर भारत 1.0

I **कोविड-19 का सामना करने के लिए एम.एस.एम.ई. को राहत और क्रेडिट सहायता**

1. **व्यवसाय, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सम्मिलित हैं, को 3 लाख करोड़ का बिना किसी जमानत के आटोमैटिक ऋण:**

   इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ई.सी.एल.जी.एस.) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को राहत देने के लिए बनाई गई जिसमें उनको 3 लाख करोड़ रुपयों तक की अतिरिक्त निधि पूर्णत: गारंटित (प्रत्याभूत) आपातकाल क्रेडिट लाइन के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।

   25 करोड़ रूपयों तक के बकाया और 100 करोड़ रूपयों के पण्यावर्त वाले उधारकर्ता इसके पात्र होंगे। यह योजना मूलधन और ब्याज पर बैंकों और एन.बी.एफ.सी. को 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार के गारंटी शुल्क और नई जमानत की आवश्यकता नहीं है।

2. **दबाव ग्रस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए 20,000 करोड़ रूपयों का गौण-ऋण:**

   सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, जो कि अनर्जक परिसंपत्तियां हैं अथवा दबावग्रस्त हैं, के लिए 20,000 करोड़ रूपयों के गौण ऋण का प्रावधान किया गया। सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 4000 करोड़ रूपए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को दिए गए। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों के प्रवर्तकों को, यूनिट में मौजूदा स्टेक के 15: के बराबर है, किंतु अधिकतम 75 लाख रूपए तक गौण-ऋण उपलब्ध करवाएं।

3. **एम.एस.एम.ई. फंड आफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रूपए का इक्विटी इनफ्यूजन**

   सरकार ने 10,000 करोड़ रूपए की राशि फंड ऑफ फंड्स के लिए निर्धारित की है जिसके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मधयम उद्यमों को सामान्य शेयर निधिकरण (ईक्विटी फंडिंग) के माधयम से सहायता प्रदान की जाएगी। फंड ऑफ़ फंड्स का प्रचालन पोषक निधि (मदर फंड) और कुछ अनुजात निधियों (डाटर फंड) के माध्यम से किया जाएगा। यह व्यवहार्य एम.एस.एम.ई. को सामान्य शेयर निधिकरण (इक्विटी फंडिंग) उपलब्ध करवाएगा। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपने आकार व क्षमता का विस्तार करने में सहायता करेगी तथा इसके साथ ही शेयर बाज़ार की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. **एम.एस.एम.ई. की नई परिभाषा–**

एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में निम्न प्रारंभिक सीमा (थ्रेश होल्ड) ने एम.एस.एम.ई. में यह भय उत्पन्न कर दिया था कि अब उनको लाभ मिलने समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार ने एम.एस.एम.ई. की परिभाषा में निवेश सीमा को बढ़ाकर संशोधन कर दिया। टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड जोड़ा गया है और विनिर्माण तथा सर्विस सेक्टर के मध्य भिन्नता दर्शाने वाले आधार को हटा दिया गया है। तालिका–9 में एम.एस.एम.ई. के संशोधित वर्गीकरण को दर्शाया गया है।

5. **200 करोड़ रूपयों तक की वैश्विक निविदाओं को स्वीकृति नहीं देना**

सरकार के सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) में संशोधन किया गया है जिसमें 200 करोड़ रूपयों से कम मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में वैश्विक निविदाओं के मंगाए जाने को अस्वीकार कर दिया गया है। यह मेक–इन–इंडिया को सहायता देने वाला एक कदम है और इससे एम.एस.एम.ई. के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. **एम.एस.एम.ई. के लिए अन्य सुधारक उपाय**

एम.एस.एम.ई. के लिए ई–मार्केट लिंकेज, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का स्थान लेंगी, सरकार और सी.पी.एस.ई. से एम.एस.एम.ई. को प्राप्य होने वाली राशियों का भुगतान 45 दिनों के अंदर किया जाएगा। इससे एम.एस.एम.ई. की विपणन और नकदी की समस्याओं का निपटान हो जाएगा।

7. आयकर धन वापसी–

लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों को आयकर धन वापसी के रूप में कुल 5204 करोड़ रूपये जारी किए गए, जिसका प्रयोजन एम.एस.एम.ई. की सहायता करना है, जिससे वे इस कठिन समय में वेतन कटौतियों और अस्थायी छंटनी किए बिना व्यापारिक गतिविधियां कर सकें।

8. मुद्रा शिशु ऋण के लिए 1500 करोड़ रूपये की राहत

भारत सरकार द्वारा उद्यत आदाताओं को ब्याज दर 2% की सरकारी सहायता 12 माह की अवधि के लिए दी गई है। इससे 'मुद्रा' के अंतर्गत छोटे व्यवसायों को लाभ मिलेगा।

9. व्यवसायों के लिए ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनस जिसमें एम.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं

सरकार ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्टसी कोड (आई.बी.सी.) संबंधित उपायों के माध्यम से ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस अर्थात् व्यापार करने में सरलता को और भी अधिक सुविधाजनक बनाया। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है–

(क) दिवालियापन कार्रवाई शुरू किए जाने की न्यूनतम थ्रेशहोल्ड को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये किया गया (जिससे बड़े पैमाने पर एम.एस.एम.ई का बचाव हो जाएगा।)

(ख) कोड के सेक्शन 240क के अधीन एम.एस.एम.ई. के लिए विशेष दिवालियापन समाधान संरचना

(ग) वैश्विक महामारी की परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि तक के लिए दिवालियापन संबंधी नई कार्रवाई के आरंभ को निलंबित करना

(घ) केंद्र सरकार को सशक्त करना कि वह कोविड–19 संबंधी ऋण को कोड के अधीन व्यतिक्रम की परिभाषा से निकाल सके, जिससे दिवालियापन संबंधी कार्रवाई शुरू ही न हो।

II. पावर सेक्टर के लिए सहायता– डिस्कोम के लिए 90,000 करोड़ रूपयों की आर्थिक सहायता (लिक्विडिटी इंजेक्शन)

III. रियल एस्टेट (स्थावर संपदा)– रेरा के अंतर्गत रियल एस्टेट परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन तिथि का विस्तार। निम्नलिखित के संबंध में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों और उनके नियामक प्राधिकरणों को परामर्श देना-

1. रेरा के अधीन कोविड-19 को अप्रत्याशित घटना माना जाए।
2. व्यक्तिगत आवेदनों के बिना लिए जरूरत के 25 मार्च 2020 को या इसके बाद समाप्त होने वाली सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण तथा समापन तिथि अपनी ओर से 6 महीने बढ़ाएं।
3. नियामक प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझता है तो, इसे 3 महीने के लिए और आगे बढ़ा सकता है।
4. संशोधित समय सीमाओं के साथ स्वत: नए सिरे से परियोजना पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करें।
5. रेरा के अधीन विभिन्न वैधानिक अनुपालन के लिए समय-सीमा का विस्तार करने की सहमति।

ये उपाय रियल एस्टेट डेवलपर्स को तनाव मुक्त करेंगे और परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करेंगे जिससे घर खरीदने वालों को नई समय-सीमा के अंदर उनके द्वारा बुक कराए गए घर मिल सकेंगे।

IV. नए आत्म निर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति

- सरकार की नई सुसंगत नीति की घोषणा-जहां सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खुले हैं, जबकि, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिभाषित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- जन हित में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा जहां सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को अनिवार्य समझा जाता है।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन रहेगा जबकि निजी क्षेत्र को भी अनुमत किया जाएगा।
- अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण किया जाएगा (संभाव्यता के आधार पर समय का निर्धारण किया जाएगा)
- व्यर्थ के प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या सामान्य रूप से 1 से 4 तक ही रखी जाएगी अन्य क्षेत्रों का निजीकरण/विलय किया जाएगा अथवा इनको होल्डिंग कंपनियों के अधीन रखा जाएगा।

आत्म निर्भर भारत 2.0 (उपायों की द्वितीय श्रृंखला) के अंतर्गत सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को 25,000 करोड़ रूपयों का अतिरिक्त पूंजीगत व्यय बजट दिया गया है।

आत्मनिर्भर भारत 3.0 (उपायों की तीसरी श्रृंखला) के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो सहायता दी गई है वह इस प्रकार है-

- 10 विजेता क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन के रूप में आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन हेतु 1.4 लाख करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि (विवरण बॉक्स 4 में है)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, के लिए 18,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त परिव्यय
- निर्माण और आधारभूत संरचना के लिए सहायता- अग्रिम जमा राशि में राहत और सरकारी निविदाओं पर निष्पादन प्रतिभूति।
- आधारभूत संरचना कर्ज वित्तपोषण के लिए 1.10 लाख करोड़ रूपये का प्लेटफार्म- नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर फंड (एन.आई.आई.एफ.) कर्ज प्लेटफार्म में 6000 करोड़ रूपये का ईक्विटी इनफ्यूजन, घरेलू रक्षा उपकरणों, औद्योगिक प्रोत्साहनों, औद्योगिक आधारभूत संरचना और हरित ऊर्जा के पूंजीगत व औद्योगिक खर्च के लिए 10,200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बजट परिव्यय उपलब्ध करवाया गया है।

8.3 सकल मूल्यवर्धन (जी.वी.ए.) के अद्यतन अनुमानों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि का अनुमान है जिसका वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 21) में जी.वी.ए. में समग्र अंशदान 25.8% है। औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान में वर्ष 2011-12 से लगातार गिरावट होती जा रही है (चित्र-1)।

जी.वी.ए. में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का शेयर वित्त वर्ष 12 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 21 में 2.7% हो गया जबकि अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट हुई है। औद्योगिक क्षेत्र के विभिन्न घटक जैसे कि विनिर्माण, खनन, खुली खान, विद्युत और निर्माण के कार्य-निष्पादन को तालिका-1 में दिखाया गया है।

चित्र 1: जी.वी.ए. (वर्तमान मूल्य, प्रतिशत) में उद्योग और उनके घटकों का अंश

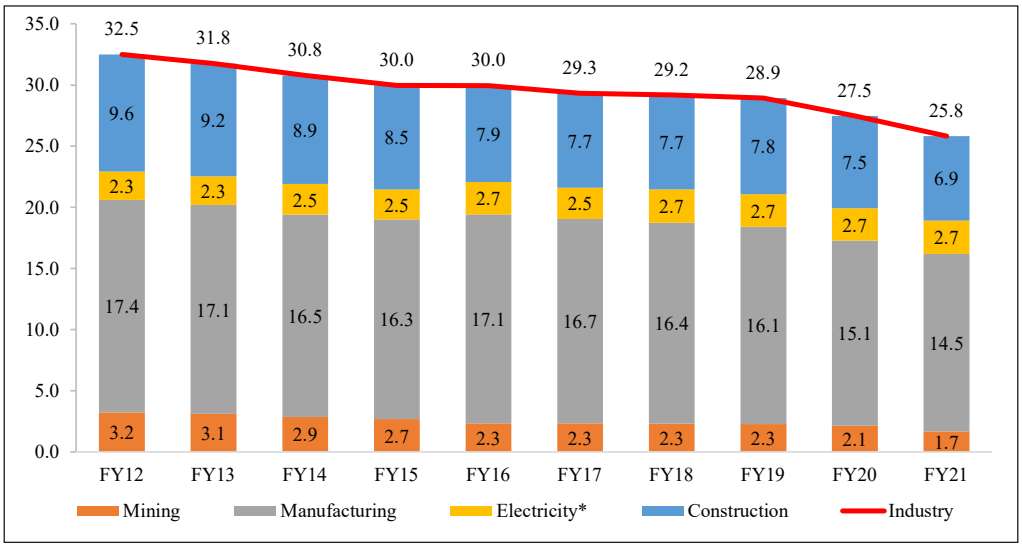

* विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

स्रोत- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 1: उद्योग में जी.वी.ए. की वृद्धि दर और उसके घटक

	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21
उद्योग	3.3	3.8	7.0	9.6	7.7	6.3	4.9	0.9	-9.6
खनन	0.6	0.2	9.7	10.1	9.8	4.9	-5.8	3.1	-12.4
विनिर्माण	5.5	5.0	7.9	13.1	7.9	6.6	5.7	0.0	-9.4
विद्युत*	2.7	4.2	7.2	4.7	10.0	11.2	8.2	4.1	2.7
निर्माण	0.3	2.7	4.3	3.6	5.9	5.0	6.1	1.3	-12.6

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

* विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

औद्योगिक क्षेत्र में प्रवृत्ति

आठ-प्रमुख उद्योगों का सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन (आई.आई.पी.) का सूचकांक (जनवरी में अद्यतन किया जाएगा)

8.4 24 मार्च 2020 को 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाया था तब यह अपेक्षा की जा रही थी कि कुछ आवश्यक सेवाओं को छोड़कर आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी।

लॉकडाउन के तुरंत बाद आई.आई.पी. में गिरावट होने लगी और अप्रैल 2020 में यह ऐतिहासिक रूप से निम्नतर स्तर पर आ चुका था। लॉकडाउन के बाद चरण-बद्ध रूप में की गई अनलॉक की प्रक्रिया से आर्थिक गतिविधियां पुन: चालू होने लगीं और इसका प्रभाव पहली बार सितंबर 2020 के आई.आई.पी. सूचकांक में घनात्मक वृद्धि के रूप में दिखा। बाद के महीनों में संगत सुधार देखा गया और आई.आई.पी. के उप-घटक ध ीरे-धीरे अपने कोविड पूर्व स्तर की ओर आगे बढ़ गए जोकि अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की शुरूआत का प्रतिबिंब था। आई.आई.पी. के प्रमुख और गैर प्रमुख घटकों दोनों में सुधार देखा गया है इसमें केबल कुछ अपवाद हैं जैसे कि प्रमुख समूह के पैट्रोलियम उत्पाद अभी भी सामान्य स्तर से नीचे हैं।

8.5 कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों इस्पात, सीमेंट और विद्युत जैसी अवसंरचनाओं को संबल देने वाले आठ प्रमुख उद्योग, औद्योगिक उत्पादन सुचकांक (आईआईपी) में कुल भार 40 प्रतिशत रखते हैं। राष्ट्रव्यापी लॉकडाडन (अप्रैल-2020) के परिणामस्वरूप इन आठ महत्वपूर्ण सूचकांकों ने सबसे कम वृद्धि(-) 37.9 दर्ज की। वृद्धि और सूचकांक में गिरावट, सूचकांक बहाली की भांति ही अपेक्षित थी। नवम्बर, 2019 में 0.7 प्रतिशत और अक्टूबर, 2020 (चित्र-2) में (-) 0.9 प्रतिशत की तुलना में आठ महत्वपूर्ण उद्योगों में नवम्बर, 2019 में (-) 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-नवम्बर, 2019 के दौरान 0.3 प्रतिशत की तुलना में महत्वपूर्ण उद्योगों की संचित वृद्धि अप्रैल-नवम्बर 2020 के दौरान (-) 11.4 प्रतिशत थी।

8.6 वर्ष दर वर्ष वृद्धि के अलावा सूचकांक स्तर पर नजर रखना हमें आर्थिक कार्यकलापों की बहाली को बेहतर समझने में सक्षम बनाता है। मई, 2020 के बाद से आठ-महत्वपूर्ण सूचकांको के प्रक्षेपवक्र में सुधार हो रहा है और वित्तीय वर्ष 2021 के बचे महीनों में अधिक बहाली/विस्तार अपेक्षित है। मौसमानुसार समायोजित आठ-महत्वपूर्ण सूचकांकों का वर्तमान स्तर (नवम्बर, 2020), फरवरी, 2020 (चित्र-3) में लोकडाउन पूर्व के स्तरों से अभी भी 6 प्रतिशत कम है वित्तीय वर्ष 2021में आठ-महत्वपूर्ण उद्योगों के निष्पादन की प्रमुखताएं तालिका-2 में प्रस्तुत की गई हैं और संबंधित सूचकांक का प्रक्षेपवक्र चित्र 4 में है। आठ महत्वपूर्ण सूचकांकों के सभी उप-घटक कोविड पूर्व के स्तरों तक ऊपर उठ रहे हैं (चित्र 5)।

चित्र 2: जनवरी-19 से नवंबर-20 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) और आठ-महत्वपूर्ण वृद्धि (प्रतिशत)

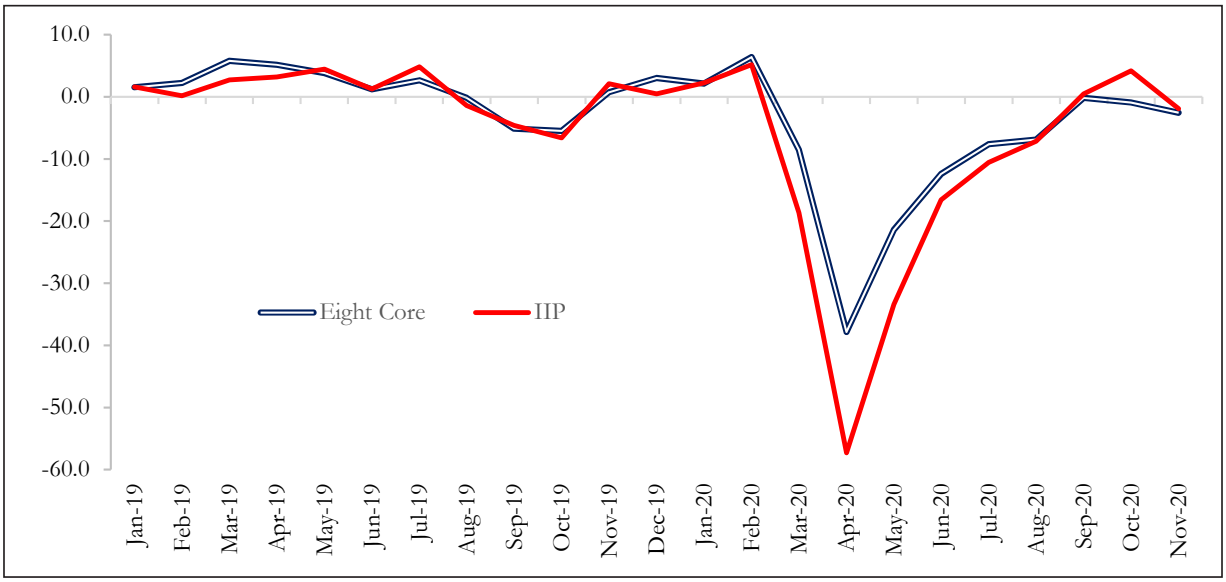

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 3: जनवरी-19 से नवंबर-20 में आईआईपी और आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक

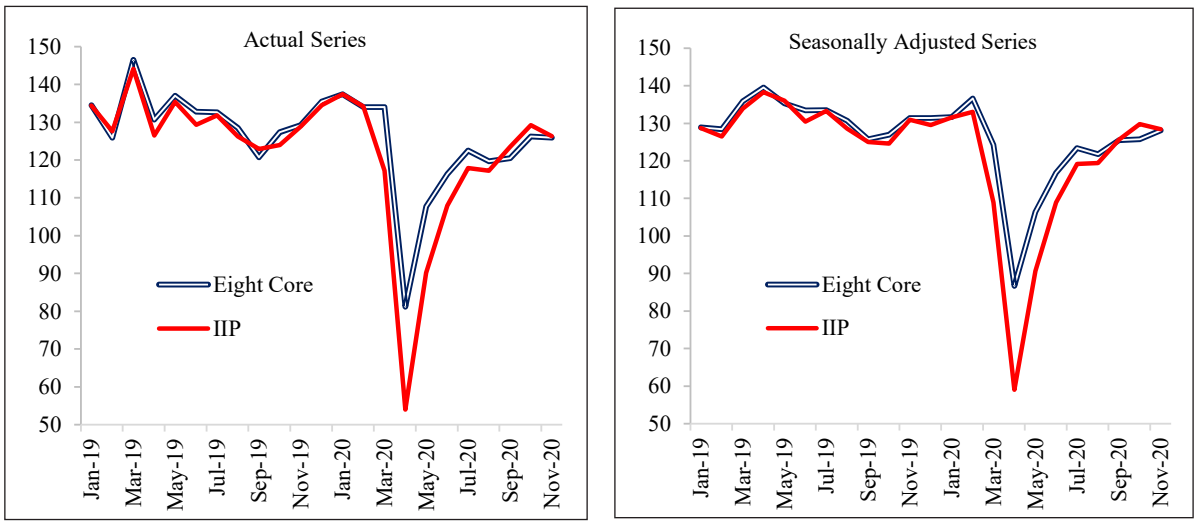

स्रोत: सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 2: आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक और उनके घटकों की मासिक वृद्धि (प्रतिशत)

	प्राकृतिक गैस	सीमेंट	कच्चा तेल	रिफाइनरी उत्पाद	इस्पात	उर्वरक	विद्युत	कोयला	कुल सूचकांक
भार	6.9	5.4	9.0	28.0	17.9	2.6	19.9	10.3	100.0
नवम्बर-19	-6.4	4.3	-6.0	3.1	7.0	13.6	-4.9	-3.5	0.7
दिसम्बर-19	-9.2	5.5	-7.4	3.0	8.7	10.2	0.0	6.1	3.1
जनवरी-20	-9.0	5.1	-5.3	1.9	1.6	-0.1	3.2	8.0	2.2
फरवरी-20	-9.6	7.8	-6.4	7.4	2.9	2.9	11.5	11.3	6.4
मार्च-20	-15.1	-25.1	-5.5	-0.5	-21.9	-11.9	-8.2	4.0	-8.6
अप्रैल-20	-19.9	-85.2	-6.4	-24.2	-82.8	-4.5	-22.9	-15.5	-37.9
मई-20	-16.8	-21.4	-7.1	-21.3	-40.4	7.5	-14.8	-14.0	-21.4
जून-20	-12.0	-6.8	-6.0	-8.9	-23.2	4.2	-10.0	-15.5	-12.4
जुलाई-20	-10.2	-13.5	-4.9	-13.9	-6.5	6.9	-2.4	-5.7	-7.6
अगस्त-20	-9.5	-14.5	-6.3	-19.1	0.5	7.3	-1.8	3.6	-6.9
सितम्बर-20	-10.6	-3.5	-6.0	-9.5	2.8	-0.3	4.8	21.2	-0.1
अक्टूबर-20	-8.6	3.2	-6.2	-17.0	4.0	6.3	11.2	11.7	-0.9
नवम्बर-20	-9.3	-7.1	-4.9	-4.8	-4.4	1.6	2.2	2.9	-2.6
वर्ष-वार प्रदर्शन अप्रेल-नवम्बर									
2019-20	-3.1	0.01	-5.9	-1.1	6.7	4.0	0.8	-5.4	0.3
2020-21	-12.1	-19.5	-6.0	-14.9	-19.4	3.8	-4.7	-2.6	-11.4

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 4: आठ-महत्वपूर्ण सूचकांकों के विभिन्न घटकों के सूचकांक की गति (प्रतिशत)

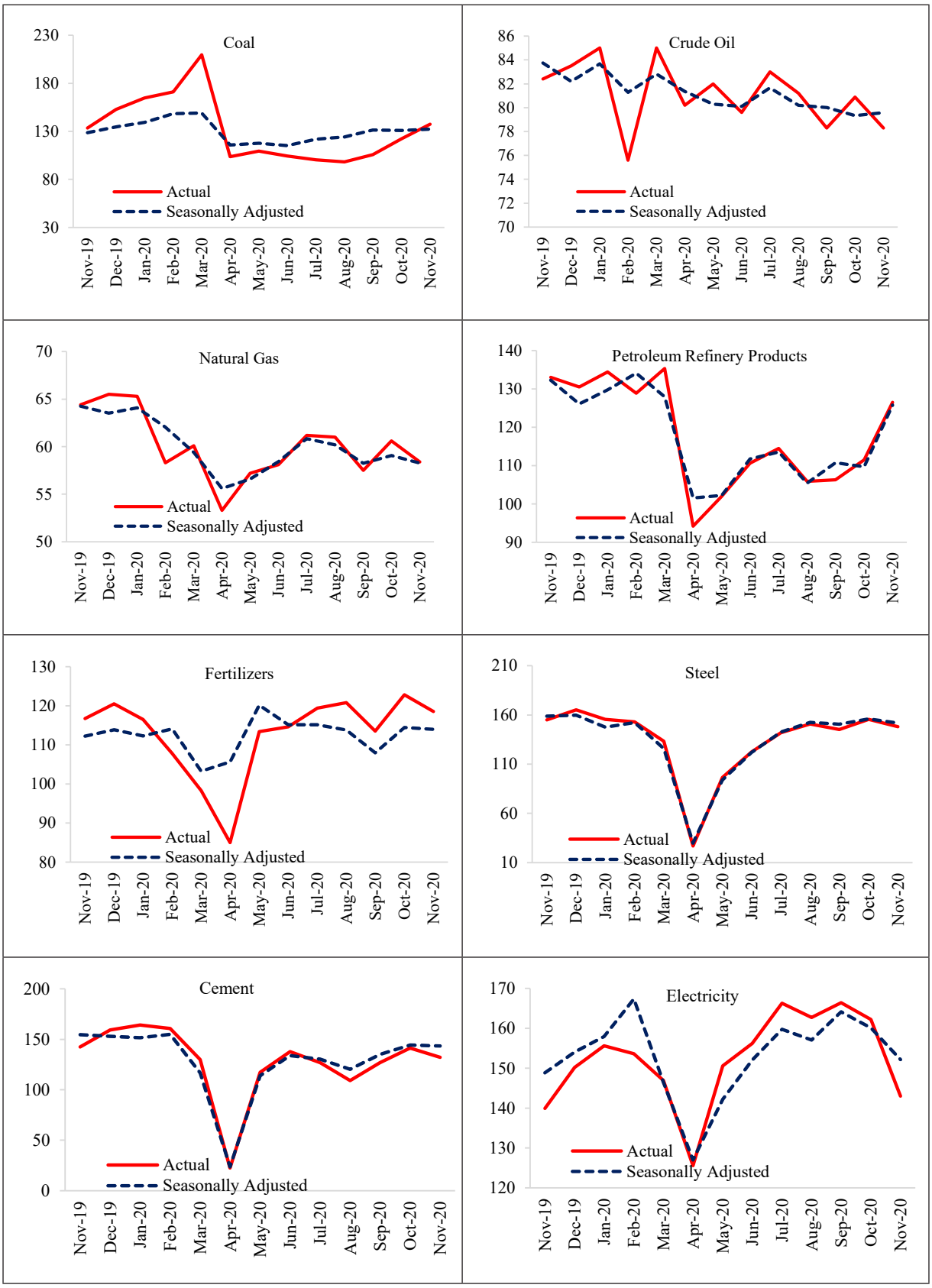

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 5: लॉकडाउन पूर्व के स्तर (फरवरी-2020) के प्रतिशत के अनुसार नवम्बर-2020 माह में मौसमानुसार समायोजित सूचकांक का मूल्य

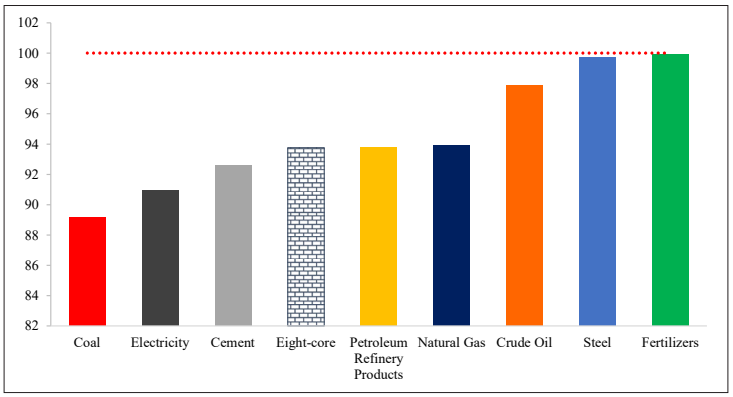

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान

8.7 कुल औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मोटे तौर पर आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक का अनुसरण करता है। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक ने नवंबर 2019 में 2.1 प्रतिशत की तुलना में नवंबर-2020 में (-)1.9 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है। (तालिका 3 और चित्र 2)। अप्रैल-नवंबर 2019 के 0.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि के लिए औद्योगिक उत्पाद सुचकांक की संचित वृद्धि (-)15.5 प्रतिशत है। आठ-महत्वपूर्ण सूचकांक और औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, मौसमानुसार समायोजित आधार पर (चित्र 3) दोनों सूचकांक लॉकडाउन पूर्व (फरवरी-2020) के स्तर से क्रमश: 9 प्रतिशत और 3 प्रतिशत कम है।

8.8 अगस्त 2020 तक, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक मुख्यत: एक या दो सैक्टरों द्वारा संचालित होता था। नवंबर 2020 के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि कुछ सेक्टर जो पहले सुस्त थे, ने महत्वपूर्ण सुधार के प्रारंभिक संकेत दर्शाने प्रारंभ कर दिये है। व्यापक सेक्टर आधाारित वर्गीकरण के आधार पर, नवंबर, 2019 में 1.9 प्रतिशत संकुचन कके विपरित खनन में नवंबर-2020 में संकुचन 1.5 था। नवंबर-2019 में 3.0 प्रतिशत विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2019 में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी जो कि नवंबर 2020 में (-) 1.7 प्रतिशत हो गई, और विद्युत सेक्टर में नवंबर-2019 में 5.0 प्रतिशत के विपरित नवंबर-2020 में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 3)

8.9 खनन सेक्टर के अतिरिक्त, जो अभी भी लॉकडाउन पूर्व के स्तरों की तुलना में बहुत निचले स्तर पर है, सभी सेक्टरों में औद्योगिक कार्यकलाप तेजी से बहाल हुए हैं (चित्र 6)। उपयोग आधारित वर्गीकरण के अंतर्गत दर्ज किए गए सभी प्रमुख सूचकांकों में एक समान स्वरूप देखा गया है (चित्र 7)। हालांकि, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में अपने समकक्षों की तुलना में प्राथमिक माल क्षेत्र का निष्पादन, जिसका भार 34.05 प्रतिशत है, थोड़ा सुस्त था।

8.10 निम्नलिखित भाग में, आईआईपी सूचकांक का विश्लेषण व्यापक मदों के स्तरों पर किया गया है। आईआईपी में 407 मदें हैं (5-अंकीय एनआईसी वर्गीकरण), जिनमें से 171 मदों में नवंबर 2020 में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अप्रैल-2020 में 28 मदों की तुलना में बहुत अधिक था (चित्र 8 और तालिका 4)। पूर्व में, कोविड पूर्व समय में मासिक वृद्धि दर्ज करने वाली मदों की संख्या (अप्रैल 12 से फरवरी 20 का औसत) 217 थी। विशेष रूप से, नवंबर-2019 और नवंबर-2018 मे सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाली मदों की संख्या क्रमश: 210 और 162 थी।

8.11 वृद्धि की बहाली पर एक और दृष्टिकोंण प्रदान करने के लिए आईआईपी को उन मदों के भार के आधार पर आगे बढ़ाया गया है, जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है। नवंबर 2020 में 46.05 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करने वाली मदों का भार अप्रैल-2020 के माह में 5.87 प्रतिशत से बहुत अधिक है (चित्र 9 और तालिका 5)। पूर्व में (अप्रैल-12 से फरवरी-20 तक), कोविड-19 पूर्व काल में मासिक वृद्धि दर्ज कीने वाली मदों की संख्या का औरस भार 61.6 प्रतिशत था। नवंबर-2019 और नवंबर 2018 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज कराने वाली मदों का भार क्रमश: 56.22 प्रतिशत और 52.40 प्रतिशत था। इसने इस तथ्य को फिर से स्पष्ट कर दिया कि उद्योगों

में वृद्धि में स्पष्ट विकास हुआ है। तालिका 6 और तालिका 7 उन मदों की संख्या प्रस्तुत करती है जो विभिन्न वृद्धि श्रेणियों कि अंतर्गत आते हैं और उन वृद्धि श्रेणियों में अनुरुप भार होते हैं।

तालिका 3: जनवरी-20 से सितम्बर-20 तक आईआईपी के विभिन्न घटकों की वृद्धि दर

	भार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
सेक्टर द्वारा												
खनन	14.4	4.4	9.6	-1.3	-26.9	-20.4	-19.5	-12.7	-8.7	1.4	-1.3	-7.3
विनिर्माण	77.6	1.8	3.8	-22.8	-66.6	-37.8	-17.0	-11.4	-7.6	-0.2	4.1	-1.7
विद्युत	8	3.1	11.5	-8.2	-22.9	-14.9	-10.0	-2.5	-1.8	4.9	11.2	3.5
सामान्य	100	2.2	5.2	-18.7	-57.3	-33.4	-16.6	-10.5	-7.1	0.5	4.2	-1.9
उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा												
प्राथमिक माल	34	1.8	8.2	-4.0	-26.6	-19.6	-14.5	-10.8	-10.7	-1.5	-3.2	-2.6
पुंजीगत माल	8.2	-4.4	-9.6	-38.8	-92.7	-65.9	-37.4	-22.8	-14.4	-1.3	3.5	-7.1
अर्धनिर्मित माल	17.2	15.6	23.0	-18.6	-63.9	-39.7	-20.7	-10.7	-4.8	-1.0	2.1	-3.0
अवसंरचना/निर्माण	12.3	-0.3	2.8	-24.3	-85.0	-39.0	-18.3	-8.2	0.0	2.5	9.9	0.7
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	12.8	-3.7	-6.2	-36.8	-95.7	-70.3	-34.8	-23.7	-10.2	3.4	18.0	-0.7
गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	15.3	-0.6	-0.3	-22.3	-48.1	-9.7	6.9	1.8	-3.0	2.4	7.1	-0.7
उपभोक्ता माल (56)	28.2	-1.8	-2.7	-28.3	-68.6	-35.6	-10.7	-9.1	-6.0	2.8	11.6	-0.7
विनियोजित माल	20.6	-1.7	-1.4	-29.2	-87.5	-47.7	-24.5	-12.6	-4.5	1.3	7.9	-1.7

नोट: लॉकडाउन के तुरंत बाद आईआईपी विकास दर की तुलना पूर्व लॉकडाउन अवधि से नहीं की जा सकती।

स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित।

चित्र 6: अक्टूबर-19 से अक्टूबर-20 तक आईआईपी सूचकांक के आईआईपी और सेक्टर आधारित घटक

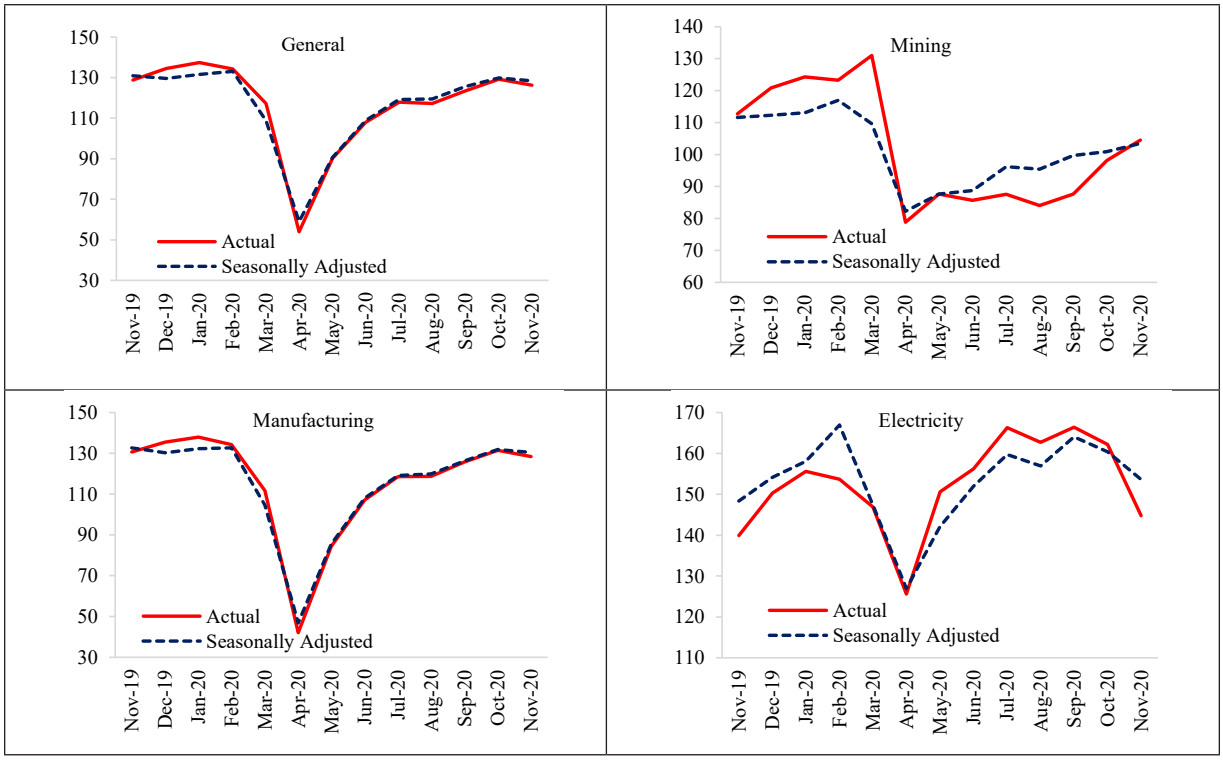

स्रोत: सर्वेक्षण अनुमान सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित घटक

चित्र 7: सितम्बर-19 से सितम्बर-20 तक उपयोग के आधार पर वर्गीकरण द्वारा आईआईपी के घटक

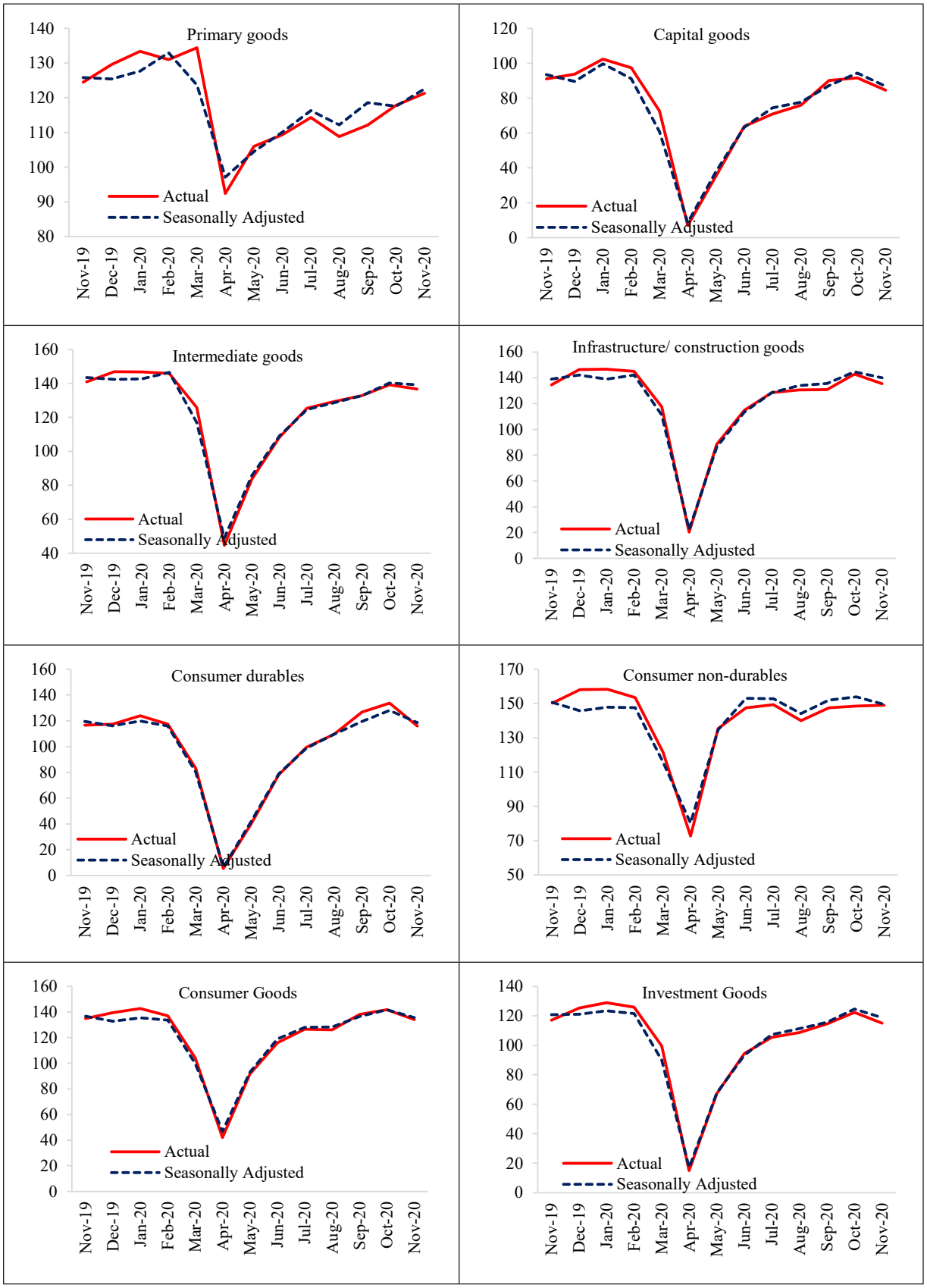

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 8: (जनवरी-19 से नवंबर-20) में वस्तुओं की संख्या वृद्धि दर्ज की गई

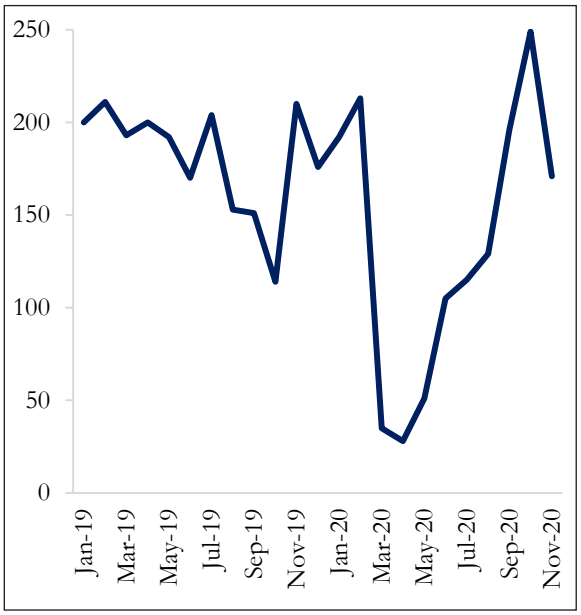

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 9: जनवरी-19 से नवंबर-20 तक वस्तुओं में वृद्धि दर्ज की गई

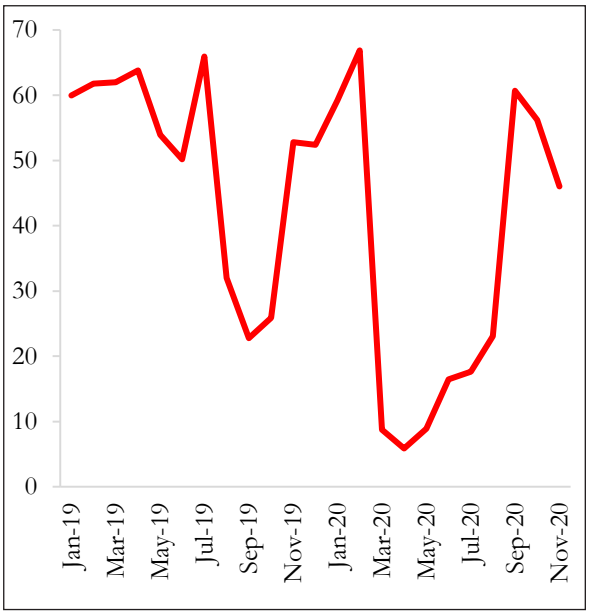

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 4: उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा वर्ष 2020 में उन वस्तओं की संख्या जिनमें वृद्धि दर्ज की गई

मद समूह	भार	कुल मदें	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
प्राथमिक (माल)	34.05	15	6	11	3	1	3	5	3	4	7	6	7
पूंजीगत सामान	8.22	67	27	23	4	1	4	9	14	16	30	38	26
मध्यवर्ती सामान	17.22	110	55	64	9	9	9	24	29	34	58	72	56
आधारभूत संरचना/वस्तुएं	12.34	29	14	16	0	0	3	4	7	11	15	22	13
उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं	12.84	86	39	42	2	0	2	14	21	24	43	52	39
गैर उपभेक्ता उपभोग वस्तुएं	15.33	100	51	57	17	17	30	49	41	40	43	59	30
कुल	**100.00**	**407**	**192**	**213**	**35**	**28**	**51**	**105**	**115**	**129**	**196**	**249**	**171**

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

8.11 To provide another perspective on the revival of growth, the IIP was further analysed by the weight of items that have recorded growth. The weight of the items that recorded growth was 46.05 per cent in November-2020, which was significantly higher than 5.87 per cent in the month of April-2020 (Figure 9 and Table 5). In the past (from Apr-12 to Feb-20), the number of items that recorded a monthly growth in the pre-COVID-19 regime had an average weight of 61.6 per cent. The weight of the items recording positive growth in November-2019 and November-2018 were 56.22 per cent and 52.40 per cent, respectively. Table 6 and Table 7 present the number of items that fall under different growth categories and corresponding weights in those growth categories.

तालिका 5: उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा वर्ष 2020 उन वस्तुओं का वजन जिनमें वृद्धि दर्ज की गई।

	भार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
प्राथमिक सामान	34.0	28.77	32.80	1.52	0.56	0.98	1.42	0.98	1.06	25.11	9.64	16.98
पूंजीगत सामान	8.2	2.12	2.74	0.79	0.08	0.27	0.98	1.45	2.32	5.07	5.28	3.61
मध्यवर्ती सामान	17.2	10.01	12.16	3.27	2.57	0.87	3.19	3.09	5.26	8.35	10.19	6.97
आधारभूत संरचना/निर्माण	12.3	6.91	6.93	0.00	0.00	0.48	1.05	3.10	5.42	6.06	11.37	5.82
उपभोक्ता उपयोग की वस्तुएं	12.8	4.07	3.62	0.25	0.00	0.04	0.80	1.31	2.39	8.13	9.85	8.08
गैर उपभेक्ता उपभोग वस्तुएं	15.3	7.32	8.63	2.94	2.65	6.25	9.03	7.69	6.63	8.00	9.89	4.59
कुल	100.0	59.20	66.88	8.77	5.87	8.88	16.48	17.62	23.07	60.71	56.22	46.05

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 6: विभिन्न वृद्धि कोष्ठक (ब्रैकेट) में मदों की संख्या

वृद्धि दर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
>10%	107	112	18	22	34	68	66	77	122	173	102
5-10%	34	43	10	1	9	15	17	28	37	32	26
3-5%	22	30	2	3	0	7	7	4	12	18	16
0-3%	29	28	5	2	8	15	25	20	25	26	27
-3 to 0%	32	29	15	2	2	16	18	34	19	21	28
-5 to -3 %	20	15	8	3	7	7	10	13	16	14	24
-10 to -5%	41	37	25	10	9	33	42	38	36	17	33
<= -10%	122	112	323	364	336	244	220	191	138	103	150

एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

तालिका 7: विभिन्न वृद्धि कोष्ठक (ब्रैकेट) में मदों का वनज

वृद्धि दर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर
>10%	15.3	30.0	3.7	3.5	5.7	11.0	8.0	14.0	20.0	36.1	12.3
5-10%	5.9	20.7	2.2	1.2	1.8	2.9	2.5	4.6	7.4	8.8	5.4
3-5%	27.4	13.0	0.8	1.2	0.0	1.3	2.7	0.5	11.9	7.3	15.0
0-3%	10.6	3.2	2.1	0.1	1.4	1.3	4.5	4.0	21.3	4.1	13.3
-3 to 0%	9.0	5.2	22.9	1.4	0.1	3.5	12.3	15.1	5.1	16.9	4.9
-5 to -3 %	2.1	3.8	1.0	0.2	1.8	1.8	2.3	3.1	5.1	2.4	5.4
-10 to -5%	9.9	8.1	11.3	1.0	3.0	11.9	8.8	22.4	11.6	3.4	21.8
<= -10%	19.8	16.1	56.0	91.6	86.1	66.3	59.0	36.2	17.5	21.1	21.8

स्रोत: एसओएसपीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र में सकल पूंजी विन्यास

8.12 उद्योग में सकल पूंजी विन्यास (जीसीएफ) की वृद्धि दर में वित्त वर्ष 18 में 1.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 19 में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह पता चलता है कि जीसीएफ क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। वर्ष 2018-19 में खनन और उत्खनन, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोग संबंधी सेवाओं और निर्माण में वित्त वर्ष 19 में क्रमशः) 14.9 प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत, 15.3 प्रतिशत ओर 24.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र के जीसीएफ शेयर में वित्त वर्ष 12 में 38.2 प्रतिशत से जीडीपी घट कर वित्त वर्ष 18 में जीडीपी का 30.2 प्रतिशत हो गया तथा वित्त वर्ष 19 की अवधि में बढ़ोतरी के बाद (31.9 प्रतिशत) दर्ज की गई (10क और 10ख)।

चित्र 10:क उद्योग में जीएफसीएफ की वृद्धि और कुल जीएफसीएफ (प्रतिशत) में इसकी हिस्सेदारी

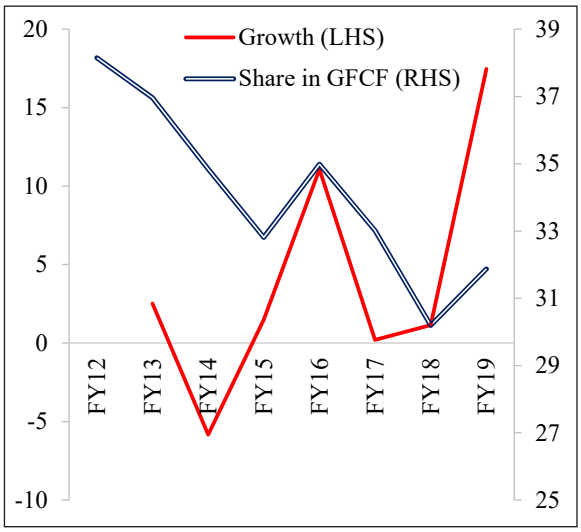

चित्र 10:ख उद्योग के कुल जीएफसीएफ में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी

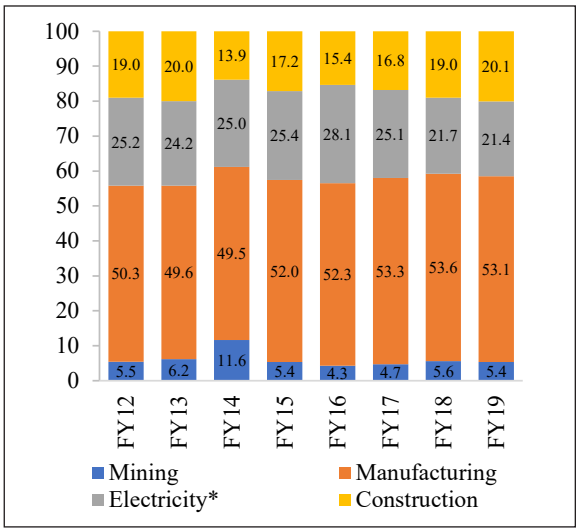

*विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं

स्रोत: एम ओ एस पी आई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्रेडिट

8.13 वर्ष प्रति वर्ष आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में अक्तूबर 2020 में सकल बैंक क्रेडिट में (-) 1.7 की वृद्धि दर्ज की गई है जबकि इसकी तुलना में अक्तूबर, 2019 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। निर्माण क्षेत्र सहित कुछ उद्योगों में नाममात्र क्रेडिट वृद्धि दर्ज की गई है। कांच और सभी इंजीनियरिंग, 'सीमेंट और सीमेंट उत्पाद' एवं 'मूलधातु और धातु उत्पाद' समूह में धीमी वृद्धि के कारण अक्तूबर 2020 (तालिका 8) में वर्ष दर वर्ष ऋणात्मक (माइनस) वृद्धि दर्ज की गई है। बैंकों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के क्रेडिट में वृद्धि की लंबी श्रंखला (नाममात्र ओर वास्तविक वृद्धि दोनों) चित्र 11 में प्रस्तुत की गई है। तथा गैर-खाद्यान्न ऋण में औद्योगिक ऋण का भार क्रमशः चित्र. 11 (क) और 11 (ख) में प्रस्तुत किया गया है।

सकल बैंक क्रेडिट (वर्ष दर वर्ष बदलाव, प्रतिशत में) का उद्योग वार आबंटन)

उद्योग	मार्च-19	अक्टूबर-19	मार्च-20	अक्टूबर-20
खनन ओर उत्खनन (कोयला शामिल है)	1.1	-4.1	5.2	4.3
खाद्य संसाधान	1.1	0.1	-1.9	3.2
Beverage & Tobacco	-5.9	8.5	12.7	0.8
कपड़ा उद्योग	-3.0	-4.6	-5.5	-1.0
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	-2.1	-1.8	0.2	2.9
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	10.2	6.2	2.2	6.6
पेपर और पेपर उत्पाद	-1.0	1.3	2.1	8.7
पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन	-3.1	4.0	20.1	16.6
रसायन और रसायन उत्पाद	17.5	3.8	6.0	-2.6
रबर प्लास्टिक और इनके उत्पाद	8.1	7.6	10.1	1.4
कांच और कांच से बने पदार्थ	17.0	-15.3	-11.2	0.7
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	5.9	18.2	5.4	-4.6
मूल धातू ओर धातू उत्पाद	-10.7	-7.1	-5.7	-3.8
सभी इंजीनियरिंग	8.6	5.9	-6.7	-17.7
वाहन ओर वाहन पुर्जे और परिवहन उपकरण	1.4	6.3	3.4	7.1
Gems & Jewellery	-0.9	-9.4	-17.4	-8.6
विनिर्माण	10.4	8.0	4.8	5.1
आधारभूत संरचना	18.5	6.8	-0.2	-2.0
अन्य उद्योग	6.8	13.6	18.5	0.4
उद्योग	6.9	3.4	0.7	-1.7

टिप्पणी: डाटा अंनतिम है और चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा बढ़ाए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करते हैं।

चित्र 11क: वर्ष-दर-वर्ष में उद्योग के लिए ऋण की वास्तविक और नाममात्र वृद्धि (प्रतिशत) (अद्यतन)

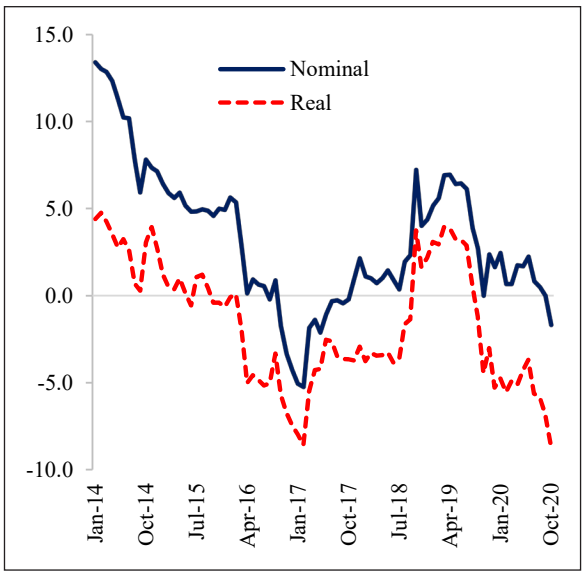

Figure 11b: Share of Industry in total Non-food Credit (Per cent)

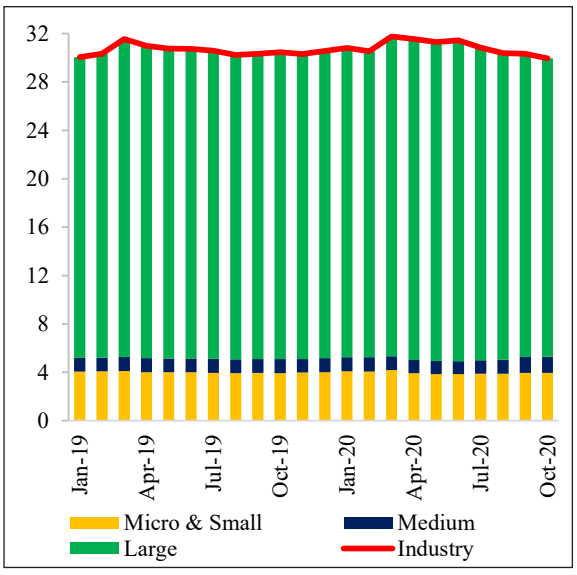

स्रोत: आरबीआई डाटा के अनुसार सर्वेक्षण अनुमान

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निष्पादन (सीपीएसई)

8.14 नवंबर 2020, में सरकार द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग नीति आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भरता की अपनी नीति की तुलना में पेराटाईम में संपूर्ण परिवर्तन का मंत्र है, जो 1956 में महालानोएस योजना का आधार बना था। हालांकि पीएसई में कम उत्पादकता, उच्च लागत संरचना तथा विकृत सार्वजनिक वित्त का नेतृतव कर रही निहित अक्षमताओं ने भारत सरकार को 1991 के बाद साज्ञनविक उपकरणों के निजीकरण के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, देश में निजीकरण। विनिदेश की यात्रा शुरू हुई।

8.15 सरकार ने जब से स्टॉक मार्केट रूट और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से वाणिज्यिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति को कम करने के लिए कई उपाय किए है, तब से इस नीति को वापिस लेने के लिए, यह आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा का विषय रहा है, जो इस मामले पर सरकार में (विशेष रूप से 2000-01, 2001-2003) विचार-विमर्श को दर्शाता है।

8.16 आत्मनिर्भर भारत मिशन के तत्वाधान में, सरकार ने व्यवसायिक गतिविधियों में सीपीएसई की भागीदारी को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है। यह तर्क दिया गया है कि सीपीएसई का आस्तित्व केवल ''सामरिक महत्व के क्षेत्रों'' में होना चाहिए। तद्नुसार सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पीएसई की संख्या आदर्श रुप में चार तक ही सीमित होगी तथा दूसरों का या तो विलय या निजीकरण किया जाएगा या नियंत्रक कंपनियों के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा गैर सामरिक-महत्व के क्षेत्रों में सीपीएसई को जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार निजीकरण किया जाएगा। इस पहल से सामरिक क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने की उम्मीद है और यह सरकार को 'सामरिक महत्व के क्षेत्रों' पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा।

8.17 सीपीएसई के विनिवेश और युक्तिकरण की योजना बनाई जा रही है, ऐसे में पहले से कार्य कर रहे सीपीएसई को भी मजबूती से बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि सरकार की उपेक्षाओं को पूरी तरह से पूरा किया जा सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उनकी संरचनाओं को पूर्नगठित करने के लिए सीपीएसई के बोर्डों को पूरी तरह से संशोधित करना होगा, तथा अधिक पारर्शिता के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध करने सहित मजबूत कार्पोरेट प्रशासन मानदंडों के साथ मिलकर उनकी परिचालन स्वायतत्ता को बढ़ाना होगा। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सीपीएसई के निष्पादन निगरानी प्रणाली में संशोधन करने के लिए अलग से पहल की है ताकि इसे क्षेत्रीय सूचकांक/बेंचमार्क के आधार पर अधिक अग्रगामी बनाया जा सके तथा बीमार एवं घाटे में चल रही सीपीएसई के पुनर्गठन एवं परिसंपत्ति के निपटान की दिशा में कुछ सुधार भी किया जा सके।

8.18 इस वर्ष कोविड-19 कंपनी कार्य मंत्रालय ने सीपीएसई सहित सभी कंपनियों के मामले में एजीएम के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है, इसलिए महामारी के कारण सीपीएसई के वार्षिक लेखापरीक्षा करने वित्तीय और विवरण तैयार करने में विलम्ब होगा। 15 जनवरी 2019 को लोक उद्यम विभाग से मिली अनंतिम सूचना के अनुसार 2020 तक 366 सीपीएसई हैं। इनमें से 256 सीपीएसई परिचालन में है, परन्तु केवल 17 सीपीएसई ने वित्त वर्ष दौरान लाभ अर्जित किया है। लाभ कमा रही सीपीएसई का कुल लाभ वित्त वर्ष 20 में 1.38 लाख करोड़ रुपए है, जबकि घाटे में चल रही उद्यमों का समेकित घाटा 44,816 करोड़ रुपये है। सीपीएसई में कुल निवल लाभ वित्त वर्ष 19 में 34.6 प्रतिशत की गिरावट के साथ वित्त वर्ष 19 में 1.43 लाख करोड़ से वित्त 20 में 93,295 लाख करोड़ पहुंच गया। सीपीएसई का परिचालन 4 क्षेत्रों में हो रहा है-कृषि, खनन और खोज, विनिर्माण एवं सेवाएं।

कार्पोरेट क्षेत्र का निष्पादन

8.19 कार्पोरेट निष्पादन पर आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्र में, मांग की स्थिति महामारी के परिणाम स्वरूप, देश व्यापी लॉकडाउन के कारण, पूर्व-वर्ती तिमाही में 41.1% के संकुचन के बाद दूसरी

तिमाही 2020-21 के लिए नाममात्र की बिक्री में 4.3: (वर्ष दर वर्ष) के हल्के संकुचन के साथ वसूली के पथ पर अग्रसर है। (चित्र-12क और 12ख)

चित्र 12 क: बिक्री और व्यय वर्ष-दर-वर्ष निजी कार्पोरेट क्षेत्र (प्रतिशत में) में सूचीबद्ध विनिर्माण कंपनियों ख. निवल लाभ के विभिन्न सूचकों में हुई वृद्धि

A. Sales and Expenditure

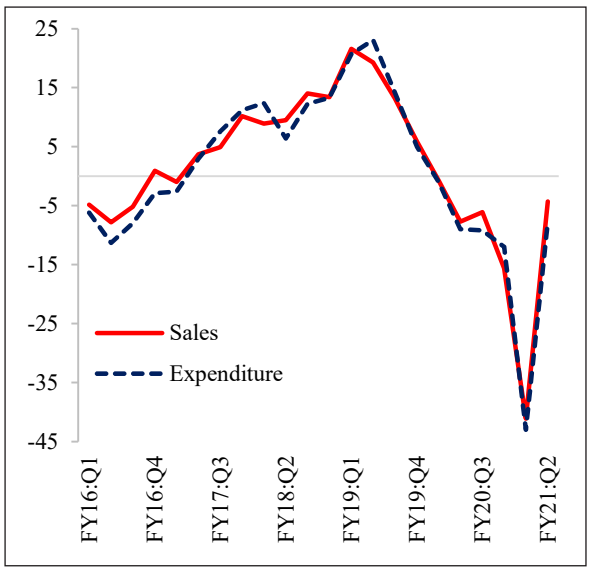

B. Net Profit

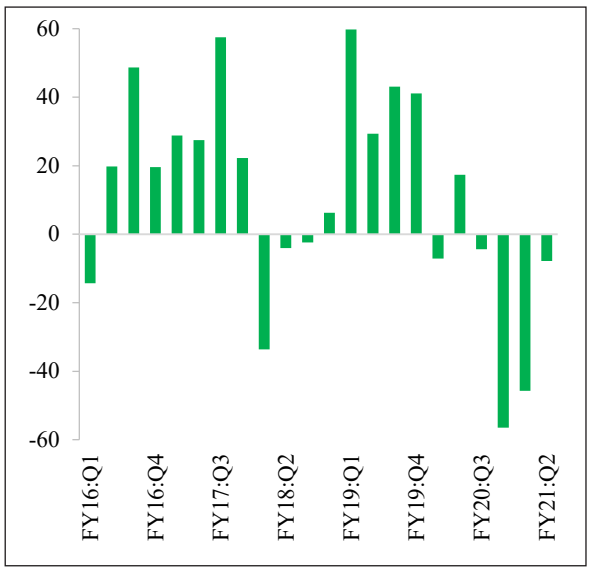

स्रोत: आरबीआई डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)

8.20 भारत सरकार देश में व्यापार अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि आर्थिक क्रियाकलापों और विनिर्माण के क्षेत्र में देश को वैश्विक केन्द्र बनाया जा सके। वर्षों पुराने विद्यमान नियमों और विनियम को सरल और युक्तिसंगत बनाने हेतु बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा व्यवसाय के वातावरण को बेहतर बनाने हेतु शासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की शुरूआत करना उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदमों में से एक हैं। डुइंग बिजनेस रिपोर्ट (2020) के अनुसार भारत में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीवी) सूचकांक में भारत 190 देशों में से वर्ष 2018 में 77वें स्थान से वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 10 मापदंडों में से 7 में बेहतर किया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के करीब समीप पहुंच गया है डीबीआर ने वर्ष 2020 में स्वीकार किया है कि भारत लगातार तीसरी बार मुख्य 10 सुधारवादी देशों में से एक है तथा भारत ने तीन वर्षों में तीसरी बार सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2009 से ईओडीबी रेंक में भारत प्रगति और डीबीआर 2020 के मुख्य समूह की तुलना में भारत की स्थिति चित्र 13(क और ख) और चित्र 14 में दर्शाई गई है। वर्ष 2011 से यह किसी भी बड़े देश के द्वारा सबसे ऊंची छलांग है।

8.21 भारत के ईओडीबी सूचकांक के अंतर्गत पाई गई तीसरी बार सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। कमियों को चित्र 15 (2019 के लिए क्रॉस सेक्शन विश्लेषण) और चित्र 16 (2015-2019 के लिए इंटरटेम्पोरेल विश्लेषण) में प्रस्तुत किया गया है। डीबीआर 2020 रिपोर्ट के अनुसार ईओडीबी के लीड सबकम्पोनेंट को बिजली मिल रही थी और सीमा पार व्यापार एवं अन्य कार्य (चित्र 15 में जो हरे रंग का बार है) हो रहा था, तथापि मुख्य कमियां 'अनुबंध लागू करना', 'संपत्ति पंजीकृत करना', 'दिवालियापन रद्द करना' और 'कर का भुगतान' है (चित्र 15 में जो लाल रंग का बार है)

8.22 ईओडीबी के सब कम्पोनेंट की तुलना करने पर सूचकांक में पाई गई कमियों का चित्र के माधयम से

उल्लेख कर पाना संभव नहीं है क्योंकि यह पूर्व के रिफॉर्म और नीतियों को संरक्षित नहीं करता है। इसलिए सब कम्पोनेंट का अंतर-अस्थायी विश्लेषण करना अधिक ठोस होगा। चित्र 16 क ईओडीबी की सूचकांक के विभिन्न उप कम्पोनेंट के स्कोर की प्रवृत्ति को दर्शाता है। चित्र 16 क से यह रूपष्ट है कि ईओडीबी-2019 में कमियां इन क्षेत्रों में भी हैं यथा 'कर का भुगतान करना' और 'दिवालियापन का समाधान' करने में अग्रसर रहा है परंतु अतिरिक्त प्रयास और नीति के समर्थन की आवश्यकता है अग्रगामी बने रहने के लिए इस सूचक के विपरीत जैसे 'अल्पसंख्यक निवेशक' की रक्षा करना और बिजली प्राप्त करना इंटरटेम्पोरेल विश्लेषण में कमी जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में सीमांत के बहुत समीप है (चित्र 16ख)। चिंता का मुख्य कारण सब कम्पोनेंट है जो क्रॉस-सेक्शन और अंतर-अस्थायी विश्लेषण, जैसे 'संपति का पंजीकरण' और 'अनुबंधों को लागू करने', दोनों, में पिछड़े हुए हैं।

चित्र 13: व्यवसाय अनुकूल वातावरण (इज ऑफ डुइंग बिजनेस) में भारत का स्थान

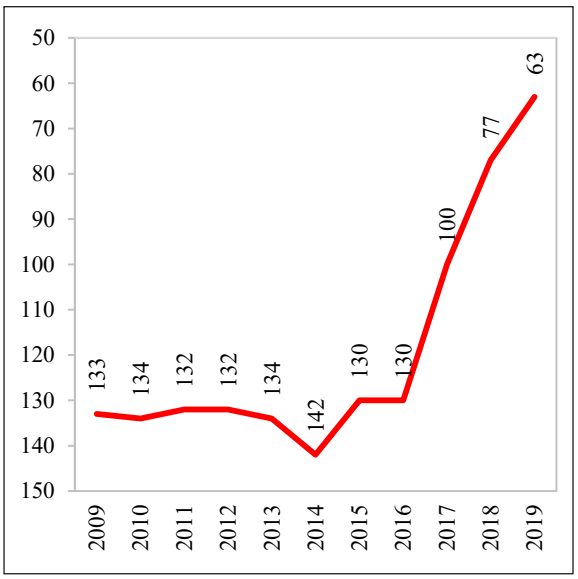

Figure 13b: India's Score in Ease of Doing Business (DB17-20 methodology)

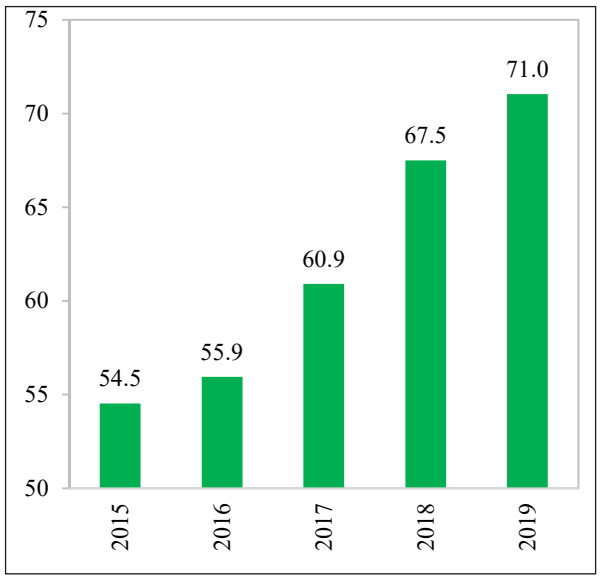

स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 14: साथी कंपनियों की तुलना में व्यवसाय अनुकूल माहौल बनाने में भारत का रैंक और संपूर्ण स्कोर

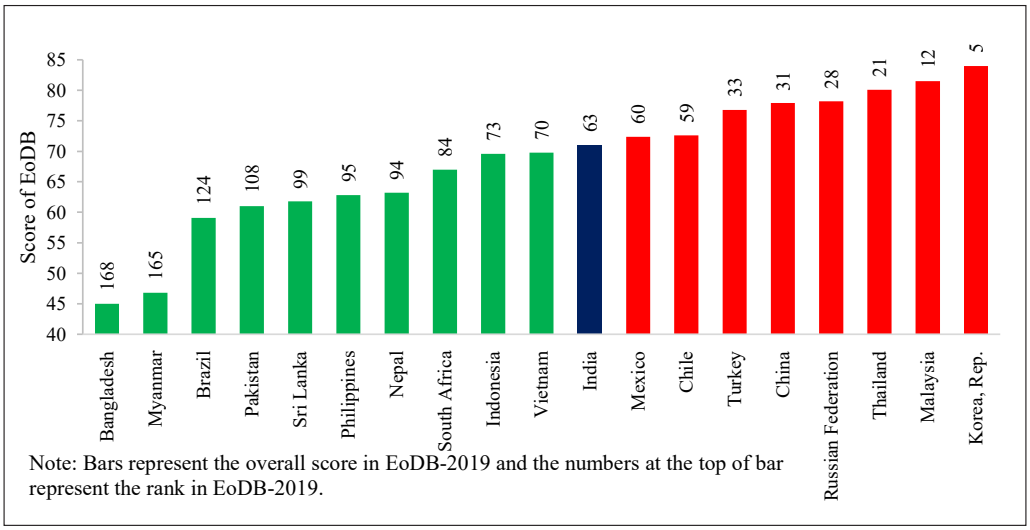

स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 15: इज ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी 2019) की समग्र रैंकिंग और स्कोर में उतार-चढ़ाव।

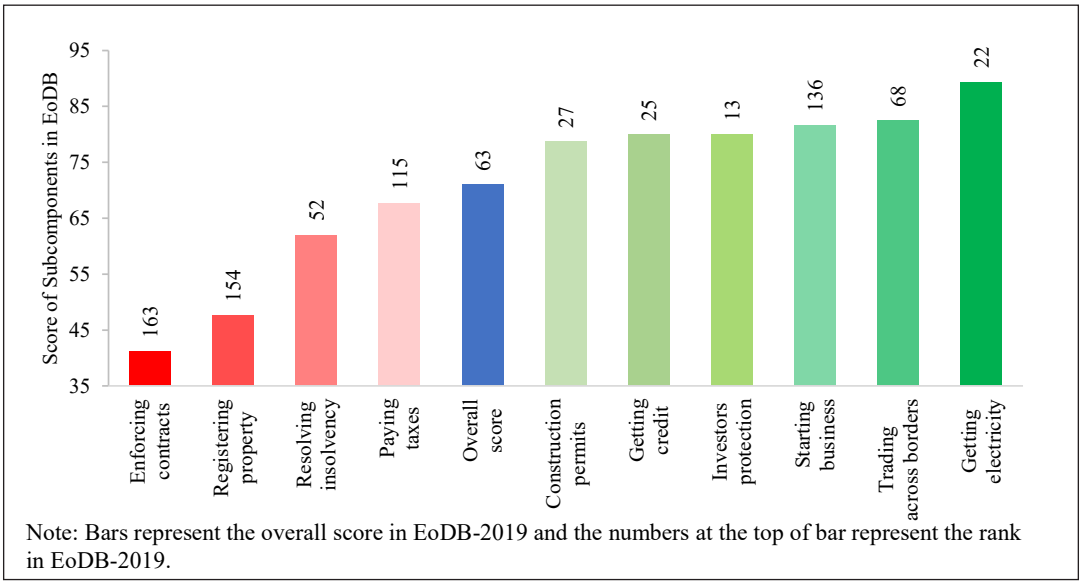

Note: Bars represent the overall score in EoDB-2019 and the numbers at the top of bar represent the rank in EoDB-2019.

स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 16क: ईओडीबी सूचकांक और इसके सब कम्पोनेंट (इंटर-टेंपोरल) में उतार-चढ़ाव

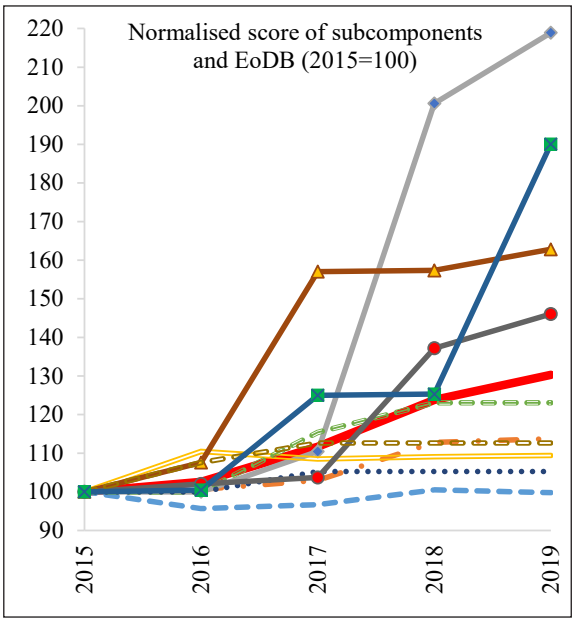

चित्र 16ख: अग्रगामी के साथ सब कंपोनेंट और ईओडीबी सूचकांक की निकटता (इंटर-टैपोरल)

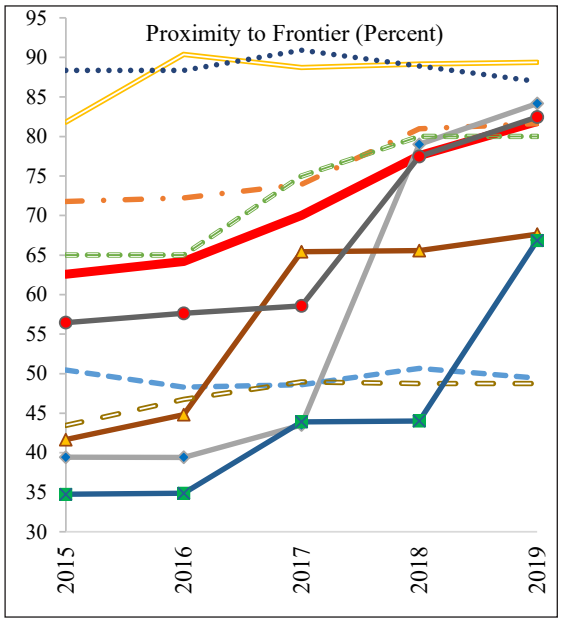

टिप्पणी: निकटता को संबंधित समूह में उच्चतम स्कोर 100 के अनुपात में भारत के स्कोर के रूप में परिभाषित किया गया है।

ईओडीबी
बिजली प्राप्त करना
अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा करना
अनुबंध लागू करना
व्यवसाय शुरू करना
संपत्ति की रजिस्ट्री करना
कर का भुगतान करना
दिवालियापन का समाधान
निर्माण की अनुमति
क्रेडिट प्राप्त करना
सीमा पार व्यापार

स्रोत: ईओडीबी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

स्टार्ट-अप-इंडिया

8.23 स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए एक मंच है जिनके पास खुली-सोच है तथा ऐसे उत्पादों को विकसित करने की क्षमता है जो तेजी से बदलते विश्व में खुद की जगह बना सकते हैं। स्टार्ट-अप मध्यम से लंबी-दूरी तक विकास के बाहय होने की क्षमता रखते है। स्टार्ट-अप के विकास को सुकर बनाने के लिए, भारत सरकार ने स्टार्ट-अप इंडिया स्टैण्ड अप इंडिया पहल की घोषणा की। कार्रवाई-योजना/एक्शन प्लान तीन स्तंभों पर आधारित है। ''सरलीकरण और सहयोग/हैडहॉल्डिंग'' ''निधियन रुपए एवं प्रोत्साहन; तथा ''इंडस्ट्री एकेड़किया भागीदारी तथा इन्क्यूवेशन''। 23/12/2020 को भारत सरकार ने 41,061 स्टार्ट-अप की पहचान की तथा 39,000 स्टार्ट-अप द्वारा 4,70,000 रोजगार दिए जाने की सूचना दी भारत ने स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन करने के लिए कई पहल की हैं। (बॉक्स 2)

बॉक्स 2. भारत सरकार द्वारा भारत के स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करने के लिए की गई पहल

1. स्टार्ट-अप इन्टलैक्चयुल प्रोपर्टी प्रौटेक्शन (एस.आई.पी.पी.) योजना, किसी भी स्टार्ट-अप को अपना आवेदन फाईल करने के लिए किसी सूचीबद्ध फैसीलैटर (सहायक) की मदद लेने में सक्षम बनाती है। यह समन्वयक, कार्यालय; महानियंत्रक (पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स) (सी.जी.पी.डी.टी.एम.) से निर्धारित प्रारूप में प्रमाणगत प्रस्तुत करने पर स्टार्ट-अप को प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान का दावा कर सकता है।

   जून 2020 तक स्टार्ट-अप को नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए 510 पेटेंट समन्वयक, 392 ट्रेडमार्क समन्वयक नामिकामित किए जा चुके हैं। बॉक्स में दिए गए आंकड़े स्टार्ट-अप पेटैन्ट फाईल करने और दिए जाने (चित्र 2.1) तथ ट्रेडमार्क आवेदन फाईल करने तथा उनका पंजीकरण करने संबंधी सूचना (चित्र 2.2) प्रदान करते है।

बॉक्स/चित्र 2.1: प्रस्तुत किए गए तथा प्रदान किए गए पैटेन्ट आवेदन।

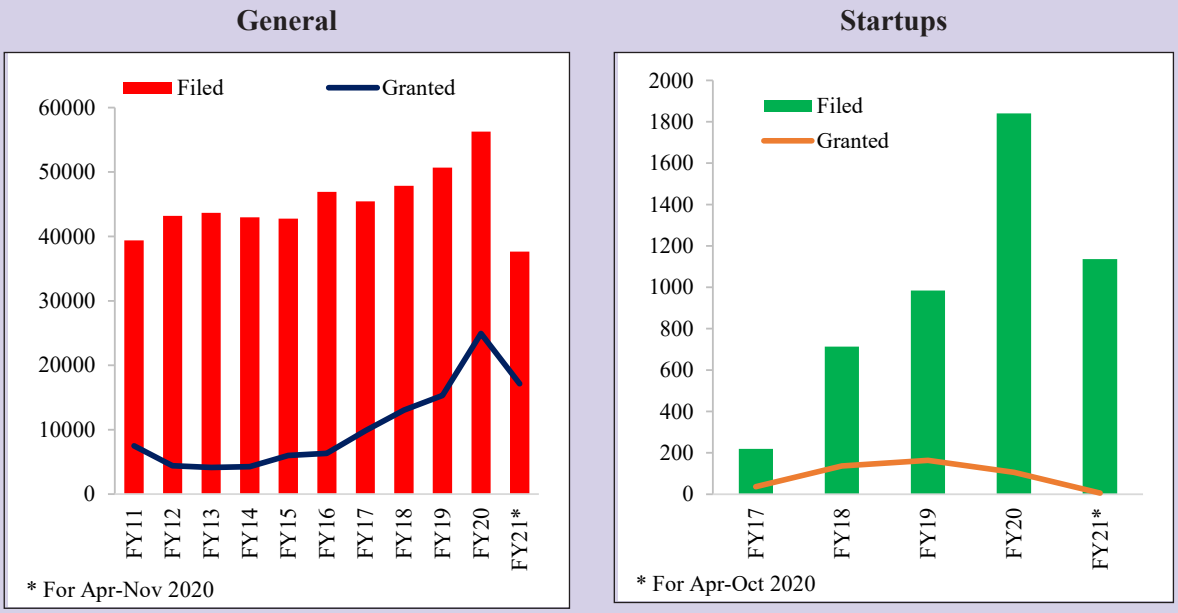

2. कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित 14वें तथा 15वें वित्त आयोग के चक्र तक फैले अंशदान के साथ 10,000 करोड़ रुपए की कुल पूंजी के साथ स्टार्ट-अपस के लिए निधि नाम से फंड (एफ एफ एस) की स्थापना की गई। दिसंबर 2020 को सिडबी ने 60 सेबी में पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को 4326.95 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इन निधियों से 31598 करोड़ रुपए की कोष निधि जुटाई गई एफ एफ एस से 1270.46 करोड़ रुपए आहरित किए गए तथा 384 स्टार्ट-अपस में 4509.16 करोड़ रुपए निवेश किए गए।

3. अब तक 319 स्टार्ट-अप को नवंबर 2020 तक कर में छूट दी गई है।

4. स्टार्ट-अप यात्रा ने यह पहल भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों की यात्रा करती है जो दिन भर चलने वाले बूट मैप का संचालन करके प्रतिभावान उद्यमियों की खोज करने के लिए है। 23 राज्यों के 207 जिलों के 78346 आकांक्षी उद्यमियों का ध्यान आकर्षित किया है। इस पहल के परिणाम स्वरूप 1,424 इन्क्यूबेशन ऑफर स्टार्ट-अप को दिए गए है।

5. इसके अलावा, इस क्षेत्र में नवाचार के बढ़ावा देने और युवाओं को प्रौद्योगिकी और उनके द्वारा विकसित उत्पादों पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्ट-अप को पेटेंट फाइलिंग फीस में 80 प्रतिशत की छूट और ट्रेड मार्क दाखिल करने की फीस पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त पेटेंट देने में लगने वाले समय को करने के लिए पेटेंट आवेदनों की शीघ्र परीक्षा की सुविधा भी स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध है। जून-2020 की स्थिति के अनुसार, 3618 आवेदनों की फाइलिंग फीस में 80 प्रतिशत 6832 ट्रेडमार्क आवेदनों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई।

Box Figure 2.2: Trademark Applications filed and granted

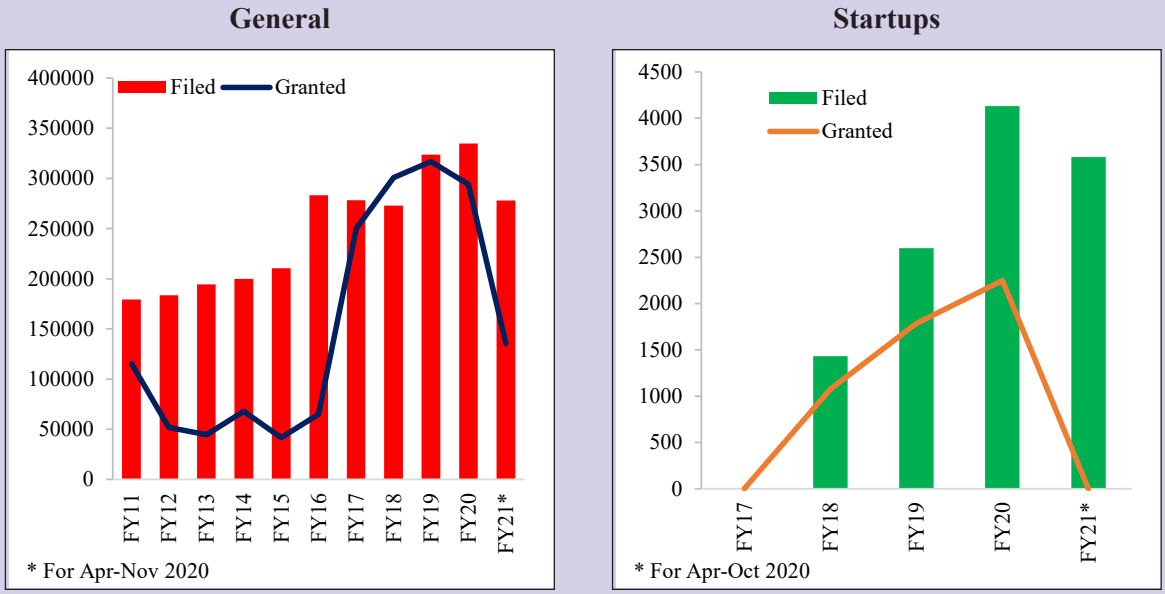

Survey calculations based on DPIIT data.

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

8.24 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) निवेश और निवेश वित्तपोषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है जो देश में आर्थिक विकास को गति देता है। एफडीआई प्रवाह देश में उत्पादकता कौशल और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ाने के साथ भी जुड़ा हुआ है। सक्रिय नीतिगत उपायों और देश में व्यापार करने में आसानी एवं किए गए सुधारों के परिणामस्वरूप एफडीआई प्रवाह में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ। एफडीआई इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 13 से लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 20 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह 49.98 बिलियन यूएस डॉलर था जबकि वित्त वर्ष 19 के दौरान 44.37 बिलियन यूएस डॉलर था इसी तरह से वित्त वर्ष 21 के लिए (सितम्बर 2020 तक) 30.0 बिलियन यूएस डॉलर था। एफडीआई इक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा गैर विनिर्माण क्षेत्र में है, जिससे एफडीआई प्रवाह (चित्र 17) का विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है। विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातु, गैर पारंपरिक ऊर्जा, रसायन (उर्वरक के अलावा), खाद्य प्रसंस्करण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को एफडीआई इक्विटी प्रवाह अधिक मात्रा में मिलता है। वित्त वर्ष 2020 (चित्र 18) में विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों में हुए एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 67 प्रतिशत भाग था।

चित्र 17: विनिर्माण एवं गैर-विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई इक्विटी प्रवाह

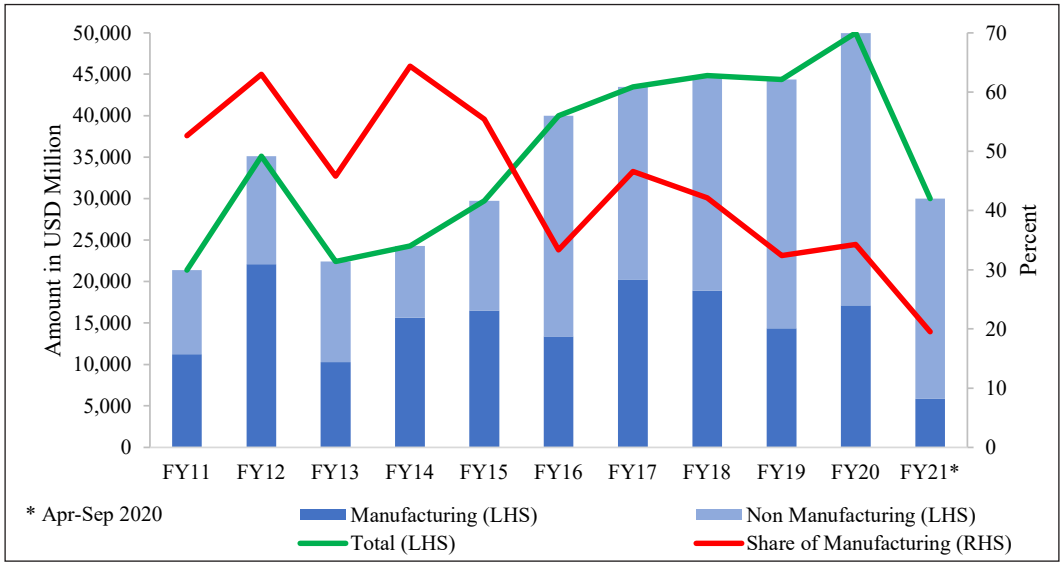

स्रोत: डीपीआईआईटी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 18: 2019-20 में कुल विनिर्माण एफडीआई इक्विटी प्रवाह में विशिष्ट विनिर्माण उद्योगों की हिस्सेदारी

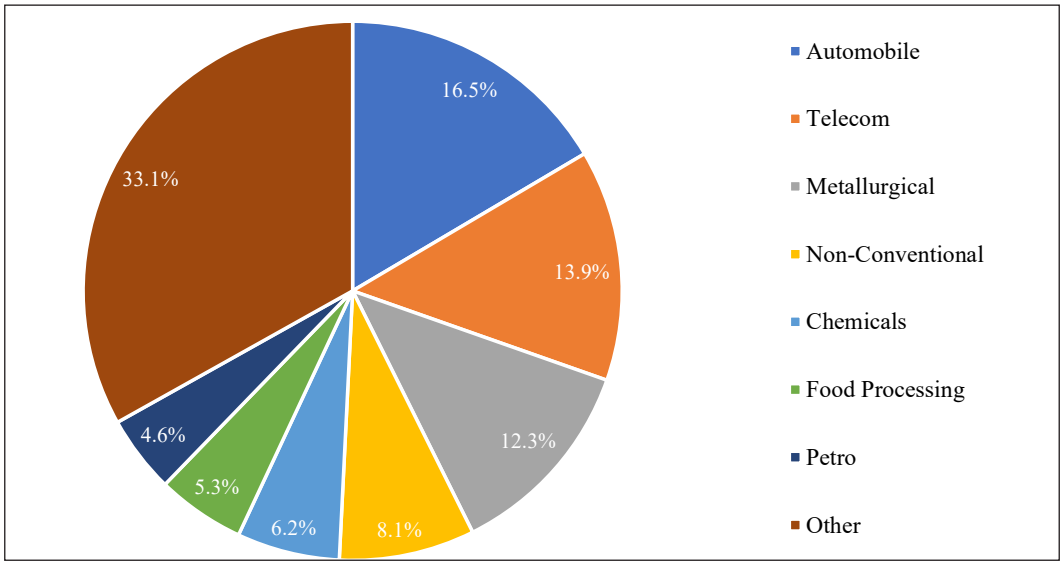

स्रोत: डीपीआईआईटी डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

क्षेत्रवार मुद्दे और पहल

स्टील

8.25 स्टील उद्योगों, शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विकास के महत्वपूर्ण आदानों में से एक हैं। आर्थिक विकास के इन महत्वपूर्ण स्तंभों में इस महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (एनएसपी-17) ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हुए भी उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार पर जोर दिया है।

एन.एस.पी. 17 का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 158 कि.ग्रा. प्रतिव्यक्ति उपभोग सहित 300 मिलियन टन (एम. टी.) की अपरिष्कृत इस्पात (क्रूड़ स्टील) क्षमता तथा 230 एम.टी. तैयार इस्पात (फिनिशड स्टील) क्षमता प्राप्त करना है (चित्र 19)।

8.26 चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान इसकी प्रतिव्यक्ति कुल फिनिशड इस्पात उपयोगिता 229 कि.ग्राम की वैश्विक औसत के प्रति 74.7 कि.ग्रा. के आसपास थी। इसके अतिरिक्त क्रूड़ स्टील प्लांट्स (कच्चे इस्पात के संयंत्रों) में क्षमता-उपभोग (खपत) कम ही बनी रही। (चित्र: 20)

चित्र 19: तैयार इस्पात का उत्पादन और खपत (मिलियन टन)

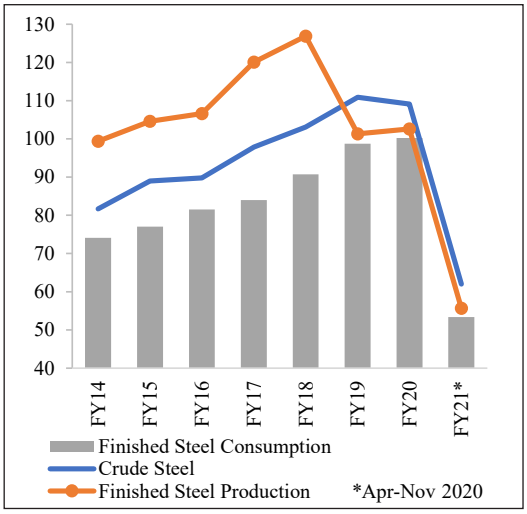

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

चित्र 20: क्षमता उपभोग इस्पात संयंत्र।

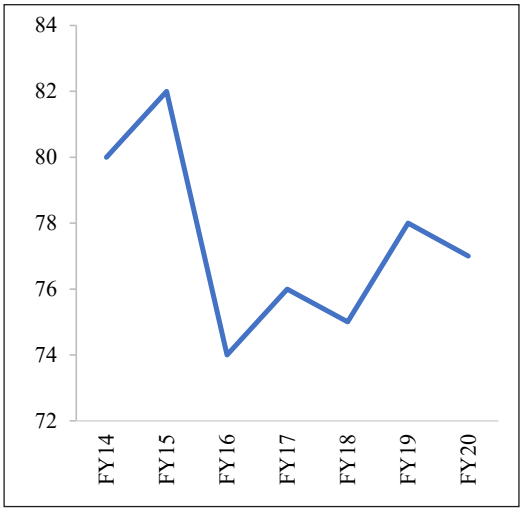

स्रोत: इस्पात मंत्रालय के डाटा पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

8.27 हाल ही में भारत सरकार ने इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर अभियान के तहत विभिन्न प्रयास किए हैं जैसे:- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पी.एस.आई.) के तहत प्रोत्साहन के लिए चार विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को शामिल करते हुए (स्पेशलिटी स्टील) का समावेशन; ऐसे एम.एस.एम.ई. को डी.जी.एफ.टी. की ड्यूटी ड्रा बैक स्कीम के तहत निर्यात समता कीमत पर स्टील ऑफर करना जो अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद के सदस्य हैं; सरकारी खरीद में, जहां 25 करोड़ से अधिक लौह एवं इस्पात उत्पादों का अनुमान हो, वहां घरेलू निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के उपाय; उद्योग (इंडस्ट्री) को अनुचित व्यापार से बचाने के लिए उपयुक्त उपचारी उपाय करना जिसमें ऐसे उत्पादों पर अनुचित एन्टी डंपिंग ड्यूटी तथा प्रतिकारी शुल्क लगाना भी शामिल है जिन पर अन्य देशों द्वारा अनुचित व्यापार पद्धतियां अपनाई गई थीं।

कोयला

8.28 भारत में कोयला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को 55: की पूर्ति करता है। कोयला न केवल देश में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वरन् इसका उपयोग स्टील, स्पंज आयरन, सीमेंट, कागज ईंट के भट्ठे आदि जैसे कई उद्योग-धंधों में भी किया जाता है।

8.29 वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम अर्थात् 0.05

प्रतिशत वृद्धि के साथ 729.1 मिलियन टन था। (चित्र-21)। वित्त वर्ष-21 में (अप्रैल-अक्टूबर) अखिल भारतीय कोयला उतपादन 337.52 मिलियन टन था अर्थात् इसमें 3.3 प्रतिशत की कमी आई। इस कमी की वजह कोविड-19 ही है। भारत कोयले का आयातक भी है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष से अधिक 5.7 प्रतिशत वृद्धि दर से वित्त वर्ष में 248.54 एम.टी. कोयला आयात किया। भारत में बिजली-आपूर्ति काफी हद तक कोयले पर ही निर्भर करती है। चूंकि कोयले को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता फिर भी भारत सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा पर्यावरण अनुकूलता के बीच सामांजस्य स्थापित करने के लिए कई उपाय किए हैं। (बॉक्स 3)

चित्र 21क भारत में कोयले का उत्पादनर
(मिलियन टन)

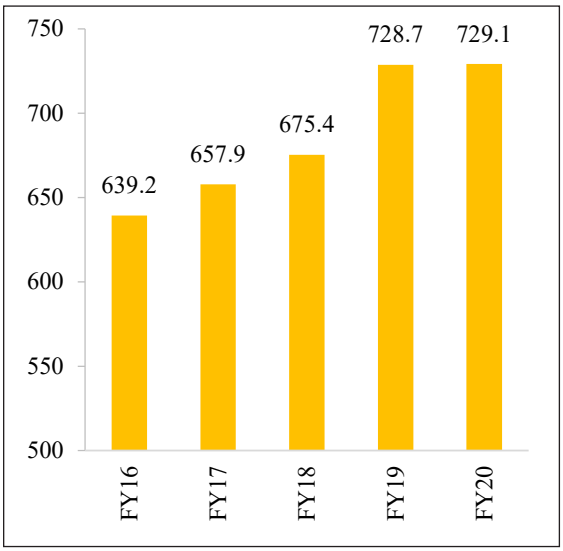

चित्र 21ख: कोयले की मांग एवं आपूर्ति
(मिलियन टन)

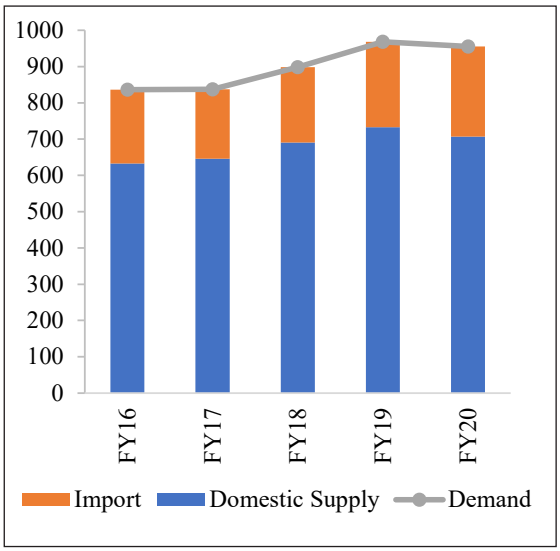

स्त्रोत: कोयला मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

बॉक्स : 3 भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किए गए उपाय

क) स्वच्छ कोयला (क्लीन कोल):

- कार्बन सिंक क्रिएट करना: 132 मिलियन वृक्षारोपण द्वारा लगभग 54500 हैक्टेयर भूमि को ग्रीनकवर के तहत लाया गया है अर्थात् 2.7 लाख टन कार्बन डाईआक्साईड के समान प्रतिवर्ष अनुमानित कार्बन सिंक का निर्माण किया गया। 2030 तक लगभग 50 मिलियन वृक्षारोपण द्वारा 20000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को इसमें लाने की योजना है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए पर्याप्त क्षमता वाले दो कोल बैंड मीथेन (सी.ए.एम.) परियोजनाएं पाईपलाइन में हैं।
- कार्बन उत्सर्जन के साथ सर्फेस कोल गैसीकरण परियोजनाएं (वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन (एम टी) प्रेषण कोयला)
- फर्स्ट माईल कनेक्टिवीटी परियोजना: खदान से प्रेषण स्थल तक कोयले का परिवहन।

ख) नियमों एवं अधिनियम में संशोधन तथा अन्य उपाय:

- दनांक 13.03.2020 को प्रदत्त खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम 2020 के कोयला खदान (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 2015 में कई संशोधन किए गए।
- खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) (एम.एस.डी.आर.) अधिनियम के तहत 11 कोल ब्लॉक (कोयला ब्लाकों) का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त कोयले की बिक्री के लिए नीलामी द्वारा 25 कोयला ब्लॉकों में आवंटन हेतु नामित प्राधिकारी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
- वाणिज्यिक खनन के लिए 10 जून 2020 में 38 कोयला खानों की नीलामी में से 19 सफलतापूर्वक आवंटित की गई इनका सफलता प्रतिशत पूर्व की 30% की तुलना में 50% (50 प्रतिशत) रहा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

8.30 भारत सरकार ने एम.एस.एम.ई. को मौजूदा संकट से उबारने के लिए सशक्त बनाने तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का वाहक बानाने की दिशा में कई प्रयास किए हैं। 6 करोड़ से भी अधिक एम.एस.एम.ई. के साथ यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है तथा रोजगार सृजन तथा जी.डी.पी. में योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग नियोजित हैं। यह जी.डी.पी. का लगभग 30 प्रतिशत है तथा सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में देश के आयात का आधे हिस्से में इसका योगदान है।

8.31 राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान एम.एस.एम.ई. क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। इस क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने के लिए कई सुधारात्मक एवं सहायक उपाय किए गए हैं। इनमें से सर्वप्रथम एम.एस.एम.ई. परिभाषा (तालिका-9 एवं बॉक्स 4) आवश्यकता में निवेश मानदंड का संशोधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 खंड 1 में परिवर्तन की उस आश्यकता पर विचार किया गया है जो छोटे फर्मों को प्रगति करने के लिए प्रोत्साहन देती है और जिनके द्वारा वे लागत संबंधी बड़े पैमाने की किफायत लाभ उठाती है। (बॉक्स 5) 1 जुलाई 2020 को उद्यम (Udyam) Registrqation Portal) प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य उद्यमियों के लिए लेन-देन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है तथा बिजनेस करने की कारोबारी प्रक्रिया का सुगम बनाना है। (अध्याय - 3 : नॉरिशिंग डबार्फ टू बिकम जियान्ट्स : एम.एस.एम.ई. के विकास के लिए नीतियों को पुनः प्रस्तुत किया गया है।) निवेश मानदंड में इस ऊर्ध्वमुखी संशोधन से आशा है कि देश में एम.एस.एम.ई. का सुदृढ़ विस्तार करने में सुविधा होगी तथा वे वैश्विक तौर पर प्रतिस्पार्धात्मक बनेंगे। इससे एम.एस.एम.ई. यूनिट के लाभों से वंचित हुए बिना उत्पादन में लागत संबंधी लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में कुछ किए गए महत्वपूर्ण उपायों पर बॉक्स I में प्रकाश डाला गया है।

इसके अतिरिक्त चैंपियन पोर्टल जैसे कई अन्य उपाय भी किए गए हैं।

तालिका : 9 - एम.एस.एम.ई. सेक्टर की परिभाषा

पूर्ववर्ती एम.एस.एम.ई. वर्गीकरण

मानदंड : संयंत्र एवं मशीनरी तथा उपकरण में निवेश			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण	25 लाख रु. से कम निवेश	25 लाख रु. से अधिक और 5 करोड़ रू से कम निवेश	5 करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. से कम निवेश
सेवा	10 लाख रु. से कम निवेश	10 लाख रु. से अधिक और 2 करोड़ रू. से कम निवेश	2 करोड़ रु. से अधिक और 5 करोड़ रू. से कम निवेश

Revised MSME Classification

समय मापदंड: निवेश और वार्षिक कुल बिक्री (टर्न ओवर)			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण एवं सेवाएं	करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ रु. से कम	कुल बिक्री निवेश करोड़ रु. से अधिक और 10 करोड़ रु. से कम तथा कुल बिक्री 5 करोड़ रु. अधिक और 50 करोड; रु. से कम	निवेश 10 करोड़ रु. से अधिक और 20 करोड़ रु. से कम तथा कुल बिक्री 50 करोड़ रु. से अधिक तथा 100 करोड़ रु. से कम

स्रोत: एम.एस.एम.ई.

बॉक्स 4: एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन का औचित्यः एमएसएमई को प्रभावित करने वालों मुद्दों पर किए गए विचारविमर्श का विवरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एसएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में एमएसएमई को संयंत्र एवं मशीनरी या उपस्कर में निवेश के आधार पर परिभाषित किया गया था। यह निवेश उनकी वास्तविक कीमत से परिकलित किया गया था। इससे इस सेक्टर को ये नुकसान पहुंचा कि इसने निवेश को हतोत्साहित किया तथा एमएसएमई को बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने तथा रोजगार सृजन में अधिक सार्थक तरीके से योगदान करने से रोका। जून, 2020 में भारत सरकार ने निवेश की सीमाओं में संशोधन करके उसे बढ़ा दिया तथा एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए उद्यम के वार्षिक कारोबार को भी अतिरिक्त मानदंड के रूप में शामिल कर दिया। ऐसे निवेश के परिकलन को अब आयकर अधिनियम के तहत फाइल की जाने वाली आयकर विवरणी के साथ लिंक किया जाएगा जिससे वार्षिक मूल्यह्रास को दर्शाया जा सकेगा। इसके कारण बड़ी संख्या में मुकदमें होने का डर भी रहेगा।

एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता पर बहुत गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया और इसके बारे में हितधारकों से परामर्श करने के बाद तथा एमएसएमई डी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुरूप यथोचित आकलन करने के बाद घोषणा की गई।

आर्थिक सर्वेक्षण (2012-13) और (2018-19) में एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी चिंताओं और मुद्दों पर तथा एमएसएमई संबंधी परिवेश को सुधारने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। भारत सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 तथा 2018 में एमएसएमई एक्ट में संशोधन करने का प्रयास भी किया था। 2015 के विधेयक में निवेश की उच्चतम सीमाओं में ऊपरी परिशोधन का प्रस्ताव रखा गया था जबकि 2018 के विधेयक में निवेश मापदंड की जगह कारोबार मापदंड को लाने तथा विनिर्माण एवं सेवाओं की बीच के अंतर को समाप्त करने का प्रयास किया गया था।

उद्योगों पर विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समिति (डीआरपीएससी) (2015) ने 268वीं रिपोर्ट को अपनाया जिसमें इस विधेयक को बिना किसी परिवर्तन के अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। समिति ने अपनी 245वीं रिपोर्ट में एमएसएमई डी एक्ट 2006 के कार्यान्वयन की गहनता से जांच की थी और मूल अधिनियम के अध्याय IV और V के संबंध में सिफारिश की थी। समिति ने सामान्य रूप से मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई सेक्टर के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमाओं को बढ़ाए जाने पर सहमति थी। ये पाया गया कि ''मुद्रास्फीति एवं बाजार की गतिशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए समिति की राय है कि अधिनियम में दी गई एमएसएमई की परिभाषा को हर 5 वर्ष में परिशोधित किया जाए।''

सचिव समिति ने 11.11.2016 को आयोजित बैठक में ''कारोबार'' और/या ''रोजगार'' को एमएसएमई की परिभाषा के मानदण्ड के रूप में शामिल किए जाने की सिफारिश की। विचार विमर्श के बाद 2015 के विधेयक को वापस ले लिया गया और 2018 के विधेयक को दिनांक 23.07.2018 को पेश किया गया।

उद्योग पर डीआरपीएससी (2018) ने 2018 के विधेयक का गहनता से मूल्यांकन किया और अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि ''संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश पर आधारित वर्गीकरण के कई नुकसान हैं जैसे यह एमएसएमई को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनने से रोकता है, उत्पादकता को आधुनिक उच्चस्तरीय, उन्नत बनाने के लिए निवेश को अवरूद्ध करता है और निवेश की सीमाओं को सख्त किए जाने के कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन पर रोक लगा देते हैं।

डीआरपीएससी रिपोर्ट (2018) में आगे उल्लेख किया गया है कि '.....2006 में एमएसएमई के लिए निर्धारित की गई वित्तीय सीमाएं, मुद्रास्फीति के असर को देखते हुए अब प्रासंगिक नहीं है। इसलिए अधिकांश उद्योग संघों और हितधारकों ने संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के वर्तमान मापदंड को बदलकर एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए वार्षिक कारोगार को मापदण्ड बनाए जाने की आवश्यकता व्यक्त की है।'

डीआरपीएससी रिपोर्ट (2018) में यह भी उल्लेख किया गया है कि '.....भारतीय संदर्भ में रोजगार का मापदण्ड निर्धारित करने में जो समस्याएं सामने आती हैं वे सेक्टर संबंधी विश्वसनीय/सत्यापन योग्य डाटा न मिल पाना तथा श्रमबल की उपलब्धता में मौसम के साथ बदलाव हो जाता। रोजगार प्रणाली के संबंध में यदि विचार किया

जाए तो जाँच बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसमें बहुत बड़ी लागत लगानी होगी और विभिन्न सेक्टरों के उद्यमों द्व ारा दिए गए आंकड़ों की सत्यता पर प्रश्न उठने की आशंका रहेगी। 25.5.2019 को 16वीं लोकसभा भंग होने के कारण 2018 का ये विधेयक लंबित हो गया।

सरकार के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सूक्ष्म लघु और मधयम उद्यमों के लिए विशेषज्ञ समिति (2018) गठित की। इस समिति ने भी निवेश की बजाय वार्षिक कारोबार को मापदण्ड बनाए जाने की सिफारिश की। इस समिति ने रोजगार आधारित परिभाषा की विशेषताओं पर चर्चा की और ये माना कि बेशक यह कुछ देशों द्वारा प्राथमिकता से अपनाई जाने वाली विशेषता है लेकिन यह परिभाषा कार्यान्वित किए जाने पर कई चुनौतियां पेश आएंगी।

डीआरपीएससी के नवीनतम आवलोकनों तथा हितधारकों के परामर्शों के आधार पर मापदण्ड में बदलाव कर दिया गया तथा दिनांक 26 जून, 2020 को उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

बॉक्स : 5 चैंपियंस: एमएसएम ई के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म

- भारत सरकार ने 09 मई 2020 को एक बड़ी पहल करते हुए एम.एस.एम.ई. की सहायता के लिए ''चैंपियन्स ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरूआत की। ''चैंपियंस'' का अर्थ है:-

  उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग। यह एक आई.सी.टी. आधारित प्रौदयोगिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य छोटी ईकाईयों की समस्याएं दूर करके, प्रोत्साहन, समर्थन प्रदान करते हुए पूरी व्यापार चक्र प्रक्रिया के दौरान हैन्ड हॉल्डिंग/मार्गदर्शन द्वारा बड़ी ईकाईयों में परिवर्तित करना है। यह प्लेटफार्म एम.एस.एम.ई. की समस्त आवश्यकताओं के लिए एकल विन्डो समाधान उपलब्ध कराता है।
- यह एक प्रौद्यौगिकी समर्थित नियंत्रण कक्ष सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है। टेलीफोन, इन्टरनेट तथा वीडियो-कान्फ्रेंस जैसे आई.सी.टी. टूल्स के अतिरिक्त, इस सिस्टम में आर्टिफ़िशन इन्टैलीजैंस डाटा एनेलिटिक्स तथा मशीन लर्निंग भी है।

  यह भारत सरकार के मुख्य शिकायत पोर्टल सीपी ग्राम्स तथा एम.एस.एम.ई. मंत्रालय के अन्य बैंक आधारित प्रणालियों के साथ वास्तविक समय के आधार पर पूर्णरूपेण एकीकृत हैं।
- प्रणाली के एक भाग के रूप में हब एवं स्पॉक मॉडल में 70 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। यह हब, नई दिल्ली स्थित सचिव, एम.एस.एम.ई. कार्यालय में हैं। स्पोक्स राज्यों में स्थित मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थानों में होंगे।
- भारत सरकार ने बिल सुविधाओं/चैंपियंस प्लेटफार्म के माध्यम से विस्तारित समर्थन प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर भी भरोसा जताया है।

कपड़ा और परिधान

8.32 कपड़ा और परिधान उद्योग देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपड़ा और वस्तु उद्योग का समग्र जी.डी.पी. में 2 प्रतिशत तथा 20 में जी.वी.ए. में कुल उत्पादन में 11 प्रतिशत योगदान रहा है जिससे लगभग 10.5 करोड़ लोगों को कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह क्षेत्र देश में कृषि के पश्चात् सबसे बड़ा नियोजक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों में एक बड़ा भाग महिलाओं का है तथा यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा इस प्रकार देश में समग्र सामाजिक विकास में भी योगदान करता है। भारत सरकार इन क्षेत्रों में कई योजनाएं लागू करती है जैसे कि संशोधित प्रौदयोगिकी उन्नयन निधि योजना (ए.टी.यू.एफ.एस.) एकीकृत कपड़ा पार्क (एस.आई.टी.पी.) तथा समर्थ योजना। ए.टी.यू.एफ.एस., टी.यू.एफ.एस. का ही एक संशोधित संस्करण है तथा इसका उद्देश्य भारतीय कपड़ा उद्योग की प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाना तथा अपग्रेड करना है।

एस.आई.टी.पी. विश्वस्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए है। एस.आई.टी.पी. के तहत एकीकृत किए गए 56 कपड़ा पार्कों में से अब तक 23 ही पूरे हुए हैं। समर्थ का ध्यान कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण पर है। इसके अतिरिक्त सिल्क, जूट, वूल (ऊन) हथकरघा और हस्तशिल्प सेक्टर से संबंधित अन्य योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

8.33 भारत का स्थान कपड़ा और वस्त्र उत्पादों के निर्यातक के तौर पर चीन, जर्मनी, बांग्ला देश, वियतनाम तथा इटली के बाद छठे स्थान पर आता है। भारत सूती धागे, फैशन गार्मेन्टस, हैंडमेड कार्पेट आदि समेत कई उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में सुप्रसिद्ध है। इस उद्योग की डिजाईन क्षमता का विश्व में काफी सम्मान है जिसकी वजह से देश को औद्योगिक पावरहाउस की छवि बनाने में सहायता मिली। हालांकि यह क्षेत्र कई आंतरिक तथा बाहरी आर्थिक चुनौतियों के प्रति अतिसंवेदनशील है जो इसकी समग्र क्षमता को प्रभावित करते हैं।

बॉक्स : 6 उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना

आत्म निर्भर भारत ने विनिर्माण को केंद्र में ला दिया है और भारत के विकास में तथा रोजगार सृजन में इसके महत्व को रेखांकित किया है। एक सुदृढ़ उत्साही तथा गतिशील विनिर्माण क्षेत्र प्रगति का पथ प्रदर्शक होगा। विश्वभर के वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। विनिर्माण तथा निर्यात प्रेरित प्रगति पर अत्यधिक निर्भर रहे है। यह इस आवश्यकता की ओर संकेत करता है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए दक्षता को सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने की किफायतों का लाभ उठाने के लिए तथा भारतीय विनिर्माण कंपनियों कसे विश्वस्तरीय बनाने के लिए एक सुनियोजित कार्य नीति तैयार की जानी चाहिए।

भारत की उत्पादन क्षमता तथा निर्यात में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत 10 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पी.एम.आई. स्कीम) की शुरूआत की। जिसमें सेक्टर विशिष्ट वित्त सीमाओं के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये क कुल व्यय होने का अनुमान है।

यह योजना भारतीय उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाएगी और अग्रणी प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करेगी; दक्षता सुनिश्चित करेगी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी, निर्यात में वृद्धि करेगी तथा हितकर निर्माण परिवेश उपलब्ध कराते हुए भारत को विशेष तौर पर इस क्षेत्र के तहत आने वाले 10 चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग बना देगी। इसके अतिरिक्त यह योजना देश में एम.एस.एम.ई. केंन्द्रों के साथ बैकवर्ड लिन्केज भी स्थापित करेगी जिससे समग्र विकास होगा तथा व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

सेक्टर इन पी.एम.आई.	अनुमानित व्यय (करोड़ों में)
एडवांस सैल कैमिस्ट्री बैटरी	18,100
इलैक्ट्रॉनिक/तकनीकी उत्पाद	5,000
ऑटोमोबाईल एवं ऑटो घटक	57,042
फार्मा औषधियां	15,000
टेलीकोम एवं नेटवर्किंग उत्पाद	12,195
टैक्सटाइल उत्पाद	10,683
खाद्य उत्पाद	10,900
उच्च क्षमता नामे सौर पी.जी. व एन.ई.)	4,500
व्हाईट गुड्स (ए.सी. व एन.ई.डी.)	6,238
विशेष इस्पात/स्टील	6,322
कुल	1,45,980

अवसंरचना

8.34 देश में बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति, विकास का आधार हैं। पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में, अर्थव्यवस्था एक सब ऑप्टिमम स्तर पर रहती है तथा अपनी संभावी व अग्रणी विकास इंडस्ट्री से दूर ही रहती है। बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र के बावजूद बैकवार्ड – फॉरवार्ड लिंकेज सुस्थापित हैं तथा इसीलिए अवसंरचना में निवेश किया जाना एक त्वरित तथा समग्र आर्थिक विकास के लिए नितांत आवश्यक है।

8.35 भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020–2025 के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा ड्राईव करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाईपलाइन (एन.आई.पी.) शुरू की है। इसका वित्तपोषण केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र (चित्र 22 और 24) निधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है (चित्र 22) एन.आई.पी. में 2020–2025 के दौरान 111 लाख करोड़ (1.5 ट्रिलियन) के कुल अवसंरचनात्मक निवेश की परिकल्पना की गई है। एन.आई.पी. में ऊर्जा, सड़क, शहरी अवसंरचना, रेलवे का मुख्य शेयर है।(चित्र 23)

चित्र : 22 वार्षिक निवेश तथा निधियन शेयर (साठ करोड़ रू.)

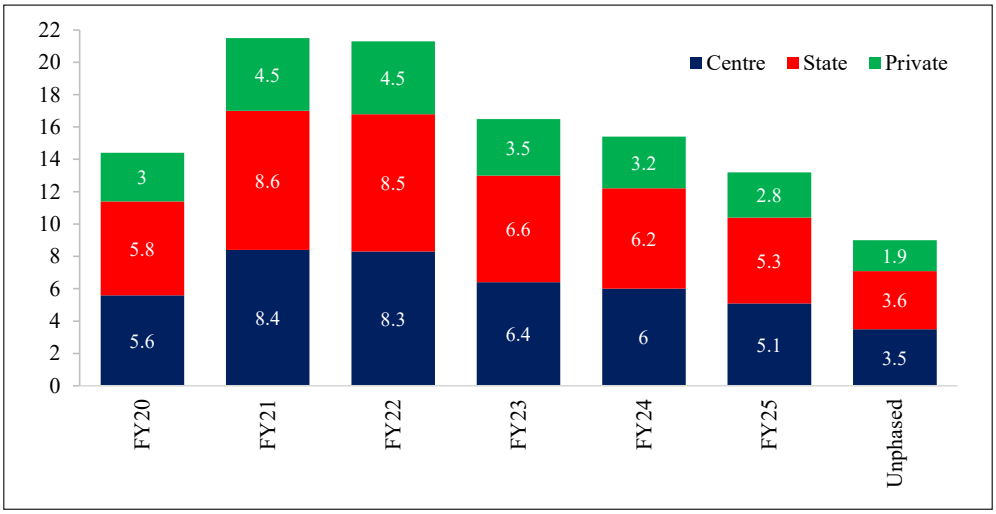

अचरणबद्ध : इसका मतलब है ये 2025 से आगे फैला हुआ है। चूंकि एन आई पी 2025 तक ही है इसलिए इस भाग को एक साथ मिला दिया गया और वर्षवार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्रोत: एन.आई.पी. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण प्राक्कलन

चित्र : 23 क्षेत्रों द्वारा एन.आई.पी. परियोजना

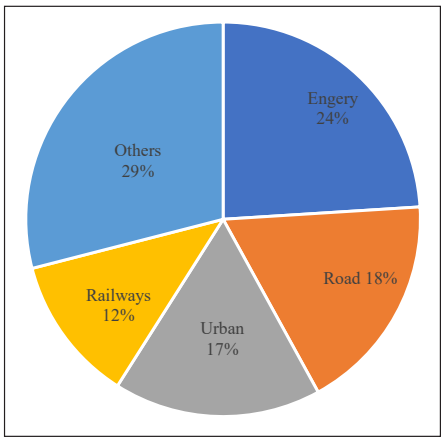

स्रोत: एन आई पी डाटा के आधार पर समीक्षा अनुभाग

चित्र : 24 एन.आई.पी. के तहत निधियन

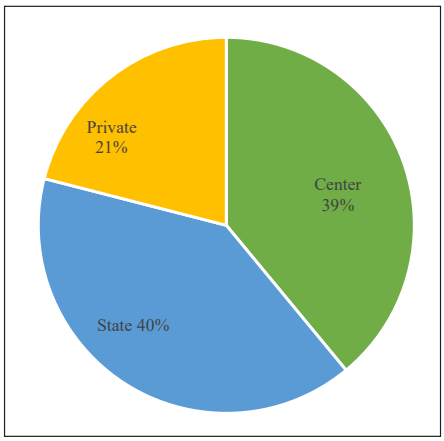

स्रोत: एन.आई.पी. डाटा के आधार पर समीक्षा अनुमान

8.36 भारत में अवसंरचना में निवेश मुख्यत: सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी.पी.पी.) के रूप में ही आया। पिछले दशक में भारत में अवसंरचना निवेश के एक तिहाई से अधिक निजी-क्षेत्र से आया। पी.पी.पी, अवसंरचना गैप को दूर करने के साथ-साथ अवसंरचना सेवा सुपुर्दगी में दक्षता सुधार में सहायता करती है।

8.37 भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में पी.पी.पी. परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक, निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.) का गठन किया। वित्त वर्ष 2020 के दौरान, पी.पी.ए.सी. ने 4321 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 5 परियोजनाओं की सिफारिश की। वित्त वर्ष 21 में पी.पी.पी. ए.सी ने कुल 66,600.59 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय वाली 7 परियोजनाएं की सिफारिश की थी। इन सात परियोजनाओं में से एक टेलीकॉम सेक्टर, 3 रेलवे सेक्टर (2 स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाएं तथा एक यात्री ट्रेन परियोजना), 2 एम एच ए सेंक्टर परियोजनाएं (इको-पर्यटन परियोजनाएं) तथा एक पत्तन क्षेत्र परियोजना है।

इन 5 परियोजनाओं में से 04 रेलवे सेक्ब्र की कैम्प परियोजनाएं हैं (यात्री ट्रेन परियोजना है) एक परियोजना तथा पत्तन क्षेत्र की हैं।

8.38 वित्त वर्ष 21 में भारत सरकार ने रिवैम्पड इन्फ्रास्ट्रक्चर वायाबिलिटी गैप निधियन (बीजीएफ) योजना को 2024-25 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रस्तावित वी.जी.एफ. स्कीम और अधिक पी.पी.जी. परियोजनाओं को आकर्षित करेगी तथा सामाजिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति आदि) में निजी निवेश को सुगम बनाएगी। नई योजना मुख्यत: सामाजिक अवसंरचना में निजी भागीदारी को मुख्यधारा में लाने के लिए दो उप-योजनाओं की शुरूआत से संबंधित है। (बॉक्स 7)

बॉक्स 7: व्यावहार्यता अंतर वित्तपोषण (वी.जी.एफ) में स्कीम

सब स्कीम 1 सामाजिक क्षेत्रों, जैसे:- अपशिष्ट जलोपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र इत्यादि, की आवश्कताओं की पूर्ति के लिए है। इस श्रेणी के तहत् सात परियोजनाओं में कम से कम शत-प्रतिशत परिचालन संबंधी लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार कुल परियोजना लागत (टी.पी.सी.) का अधिकतम 30% उपलब्ध कराएगी क्योंकि वी.जी.एफ. तथा राज्य सरकार/प्रायोजक केंद्रीय मंत्रालय/सांविधिक संस्था, टी.जी.सी. की 30% तक अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

सब स्कीम 2 निदर्शन/प्रायोगिक सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के सहयोग के लिए है। ये परियोजनाएं ऐसी स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं में से हो सकती है जिनसे कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली हो।

ऐसी परियोजनाओं में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें पहले पांच वर्षों तक मिलकर कुल ऐसी पूंजी व्यय का 80% तथा प्रचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) लागत का 50% उपलब्ध कराएंगी। केंद्र सरकार, परियोजना की टी. जी.सी. का अधिकतम 40% उपलब्ध कराएगी। इसके अतिरिक्त यह वाणिज्यिक ऑपरेशन के प्रथम पांच वर्षों में परियोजना की संचालन संबंधी लागत का अधिकतम 25% उपलब्ध करा सकती है।

सड़क क्षेत्र

8.39 भारत सड़कों पर दौड़ता है, चाहे वह यात्री परिवहन हो या माल की आवाजाही, सड़क परिवहन देश में यातायात का प्रमुख साधन है। जी.वी.ए. में वित्त वर्ष 19 के दौरान परिवहन क्षेत्र का शेयर, लगभग 4.6% था जिसमें से सड़क परिवहन की भागीदारी लगभग 67% थी। (चित्र-25)।

8.40 भारत में सड़क परिवहन, यातायात प्रणाली का आधार है तथा यह परिवहन के मल्टी-मॉडल सिस्टम के साथ अच्छी तरह से एकीकृत है, जो कि हवाईअड्डों, रेलवे स्टेशनों, पत्तनों तथा अन्य लॉजिस्टिक हब्स के साथ महत्वपूर्ण लिंक उपलब्ध कराता है। भारत 63.86 लाख कि.मी. शहरी ग्रामीण सड़कों तथा राष्ट्रीय-राज्यीय राजमार्गों के साथ अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है जिसका सड़कों का नेटवर्क 66.45 लाख कि.मी. है। इस क्षेत्र में सक्रिय नीतिगत प्रयासों के साथ, देश में सड़क नेटवर्क में निरंतर वृद्धि हो रही है। (चित्र 26 एवं चित्र 27)

8.41 वित्त वर्ष-19 को समाप्त दशक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में 7.25% सी.ए.जी.आर. दर्ज किया गया जिसके बाद ग्रामीण सड़कों (6.25%) तथा शहरी सड़कों (4.27%) का स्थान आता है। जिस रफ्तार से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उसमें 2014-15 की 12 कि.मी. प्रतिदिन से वर्ष 2018-19 में 30 कि.मी. प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है तथा 2019-20 में यह औसत रही है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण में आई तीव्र कमी की मुख्य वजह कोविड़-19 ही रही है (चित्र-28) अर्थव्यवस्था को अनलॉक करने के साथ ही सड़कों के निर्माण का कार्य कोविड-19 से पूर्व की तीव्र गति पर लौटने का अनुमान है।

चित्र 25: कुल परिवहन जी.वी.ए. में सड़क परिवहन का शेयर

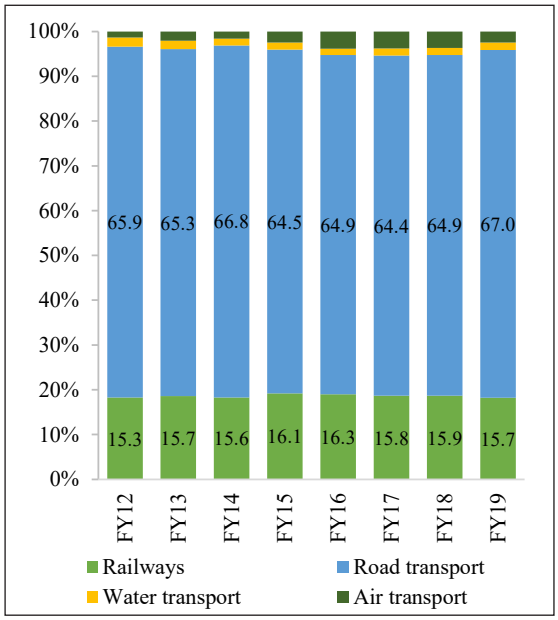

स्रोत: एम.ओ.आर.टी.एच. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण (अनुमान)

चित्र 26: भारत में रोड नेटवर्क (लाख किलोमीटर)

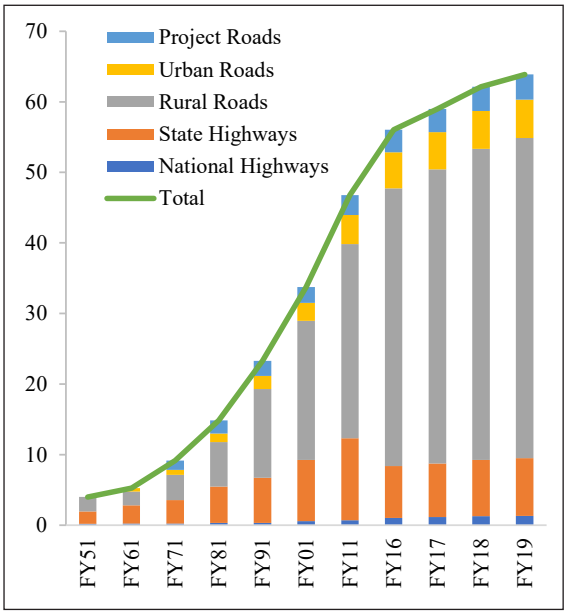

स्रोत: एम.ओ.आर.टी.एच. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण (अनुमान)

चित्र 27: राष्ट्रीय राजमार्ग/सड़क परियोजनाओं का आवंटन और निर्माण

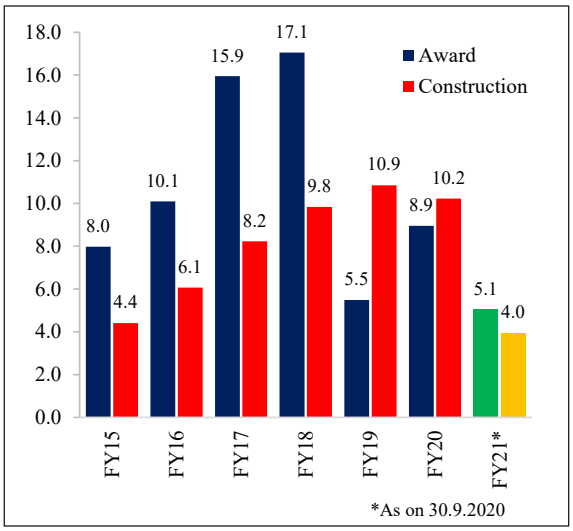

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

चित्र 28: प्रतिदिन किलोमीटर में सड़क निर्माण।

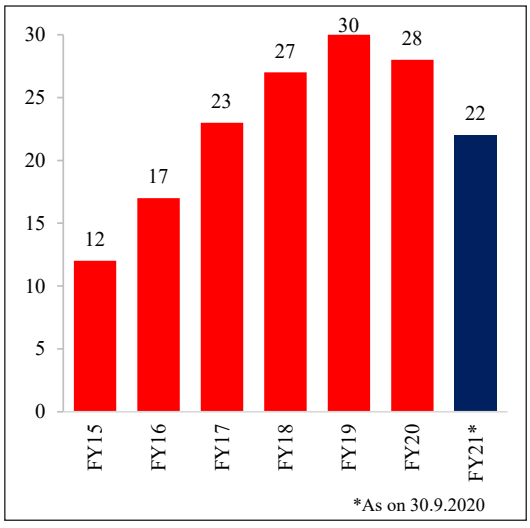

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

8.42 सड़क एवं राजमार्ग क्षेत्र में कुल निवेश वित्त वर्ष 15 से 2020 (तालिका 10) तक की 6 वर्ष की अवधि में तीन गुणा से अधिक बढ़ा है जिसकी वजह से राज्यों में सड़कों का जाल भी बढ़ा है। (चित्र-29)

तालिका 10: भारत में सड़क निर्माण पर कुल निवेश के विवरण (करोड़ रू.)

Heads	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21*
कुल बजटीय सहायता	29359	45949	49172	59636	76137	75853	45508
आई.ई.बी.आर.	3343	23281	33118	50533	61217	74988	17128
निजी क्षेत्र निवेश	19232	29770	16029	16501	21605	21926	6029
कुल निवेश	51935	99000	98319	126670	158959	172767	68665

*सितंबर 2020 तक।

स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

चित्र 29: राज्यों द्वारा प्रति हजार वर्ग कि.मी. पर सड़क घनत्व (मार्च 2018 को)

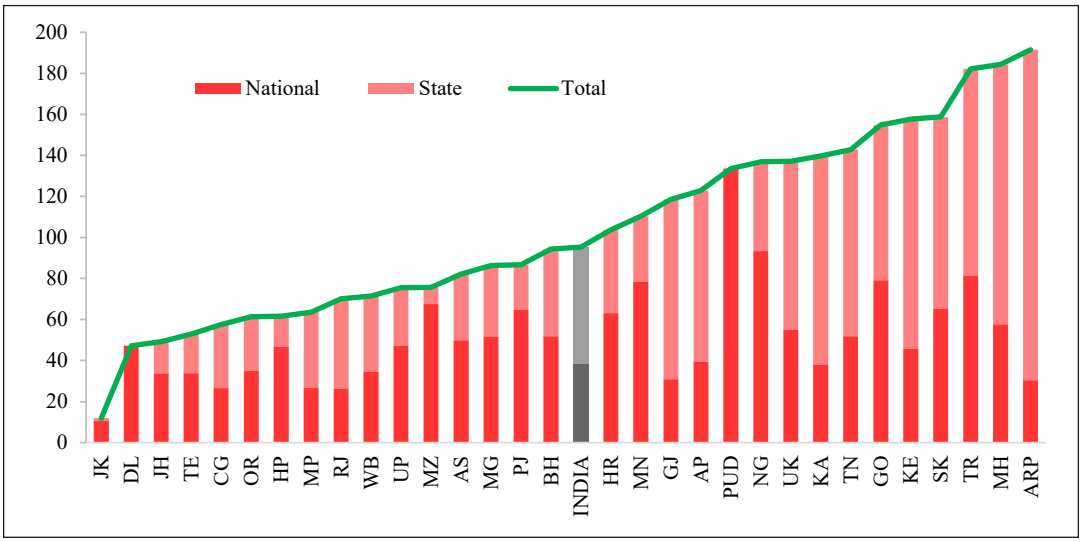

स्रोत: एम.ओ.आर.टी.एच. डाटा पर आधारित सर्वेक्षण अनुमान।

नागर विमानन (सिविल एविएशन)

8.43 भारत का उड्डयन बाजार विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। भारत के घरेलू ट्रैफिक (यातायात) में दोहरी/दोगुनी वृद्धि हुई है तथा यह 2013-14 में 61 मिलियन के आसपास था जो कि वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया है अर्थात इसमें 14% प्रतिवर्ष से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 तक उम्मीद है कि यह तृतीय सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार से बढ़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समग्र बाजार (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक सहित) बन जाएगा। नागर विमानन क्षेत्र के निष्पादन सूचक चार्ट-30ए से 30डी तक दर्शाए गए हैं।

8.44 कोविड-19 के कारण उपजी गंभीर चुनौतियों के बावजूद, भारतीय उड्यन उद्योग संकट से उबरने का प्रयत्न करता रहा है और इस उद्योग से दीर्घकालिक लचीलेपन तथा पूर्ण सेवा भाव का प्रदर्शन किया है। वंदे भारत मिशन को 7 मई 2020 को विश्व में फंसे हुए भारतीय को वापिस लाने के लिए शुरु किया गया था। इसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2020 तक लगभग 30 लाख यात्रियों का आगमन हुआ है, इसमें से लगभग 27 लाख

को चार्टेड उड़ानों तथा एयर इंडिया समूह की सहायता से, मानव इतिहास में सबसे बड़े बचाव मिशन के जरिए, सहायता दी गई। (चित्र-31)। लाईफ लाइन उड़ान पहल के तहत भारत के सूदूर क्षेत्रों को जीवन-रक्षक सामग्री की आपूर्ति के परिवहन में एयर कार्गो ने नेतृत्व किया तथा आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं के आयात की भी देखभाल की। चित्र 31बी दर्शाता हे कि ए आर कार्य सम्भल रहा है तथा आर्थिक गतिविधियों के चालू होने से सामान्य स्तर की ओर बढ़ रहा है।

चित्र 30ए: भारत के कुल हवाईजहाजों (फ्लीट) की संख्या (अंकों में)

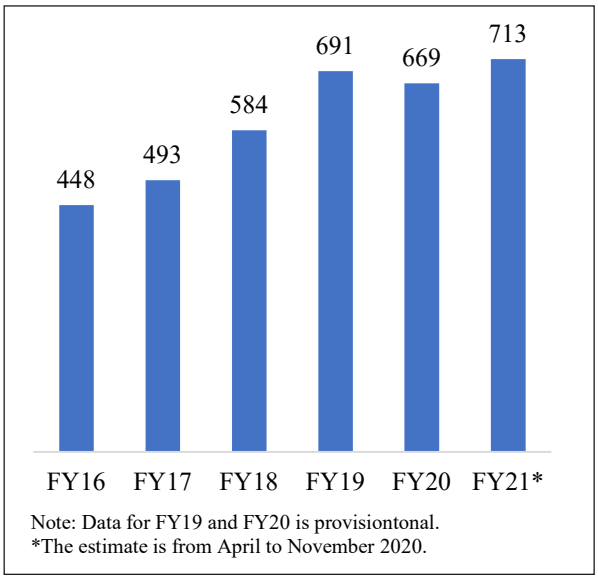

चित्र 30बी: भारतीय हवाई अड्डों द्वारा हैंडलड कार्गो (ढोया जाने वाला माल) (हजार टनों में)

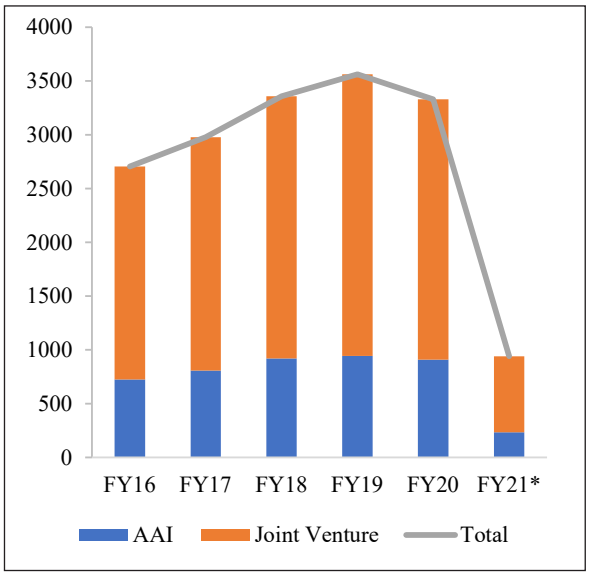

चित्र 30 सी: अनुसूचित सेवाओं का एएसके (अरब में)

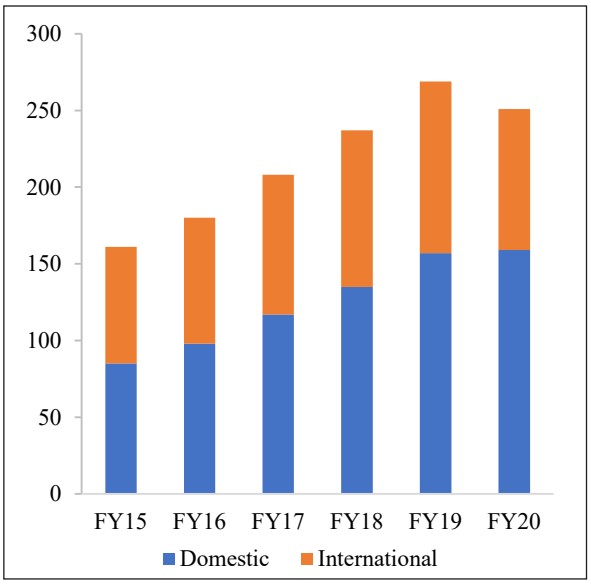

चित्र 30डी- अनुसूचित सेवाओं के द्वारा कि.मी. में यात्रियों द्वारा यात्रा (अरब में)

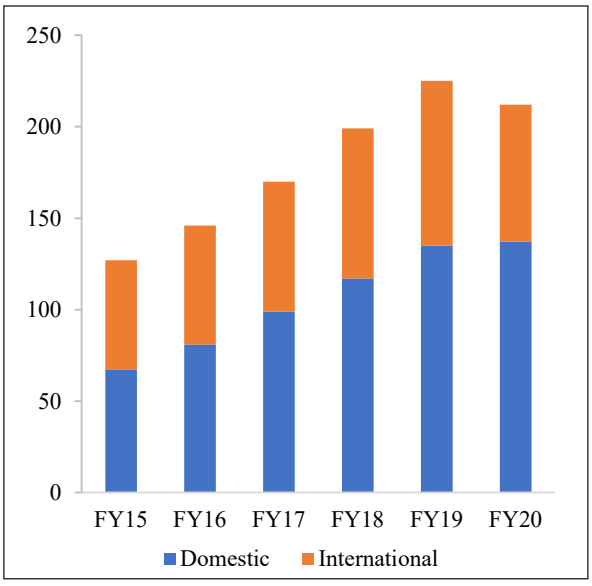

स्रोत: सर्वेक्षण डीसीसीए के आंकड़ों पर आधारित है (एएसके: उपलब्धा सीट कि.मी.)

Figure 31a: Vande Bharat Mission- Arrivals in lakhs (As on December 13, 2020)

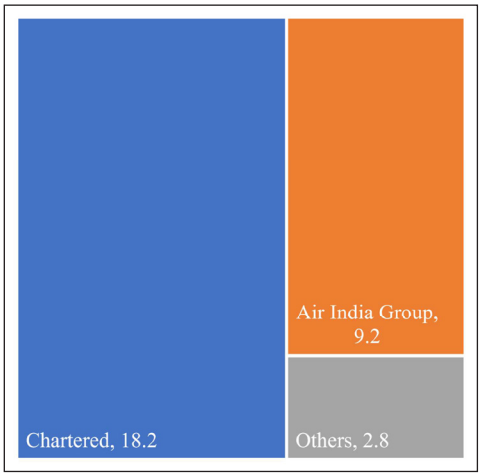

Figure 31b: All-India Air Cargo (lakh tonnages)

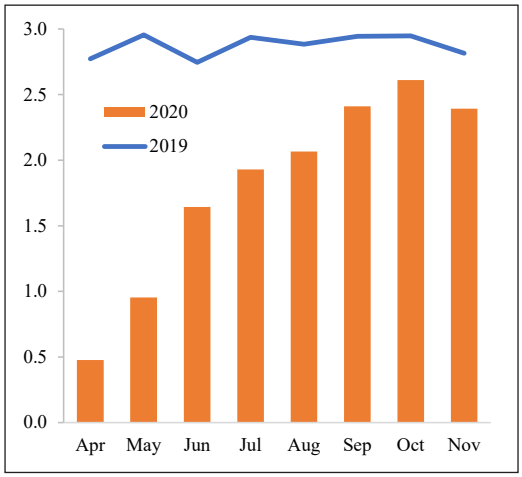

स्रोत: डीसीसीए आधारित सर्वेक्षण अनुमान

8.45 सरकार (बाक्स 8) द्वारा किए गए निर्णायक एवं तीव्र हस्तक्षेपों तथा प्रभावी उपायों के परिणाम स्वरुप हवाई यात्रीयों की यात्रा एवं हवाई जहाजों के परिचालन 2021 के आरंभ में पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंचने की संभावना है। सरकार ने 23 देशों के साथ इन संबंधाति देशों तथा भारत के बीच यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एयर-लिंक अथवा एयर बबल की शुरुआत भी कर दी है।

बॉक्स 8: कोविड लॉकडाउन के दौरान कार्गो के सुगम एवं प्रभावी प्रचालन को सुनिश्चित करने की पहल

उपयुक्त चिकित्सा सुरक्षा उपायों के साथ कार्गो टर्मिनल सुविधाओं के 24x7 परिचालन को सुनिश्चित करना।

- आवश्यक शिपमेंट के लिए रास्ते को खाली रखने के लिए हवाई अड्डों पर हवाई कार्गो वेयर हाउस की शीघ्र निकासी को प्रोत्साहन देना।
- हवाई माल वाहक जहाजों में 6 से 20 समर्पित हवाई माल वाहक जहाजों तक संख्या में वृद्धि।
- कार्गो-ऑन-सीट उड़ानों के रूप में तैनात लगभग 150 यात्री विमानों के साथ हवाई मालवाहकों की क्षमता में बढ़ोतरी।
- दिल्ली हवाई अड्डे पर आयात कार्गो चिकित्सा आपूर्तियों के भण्डारण एवं वितरण के लिए रिकार्ड 6 दिनों में 3800 वर्ग मीटर की समर्पित सुविधाओं का सृजन।
- दिल्ली हवाई अड्डों पर अस्थायी गोदामों की सुविधाओं का सृजन।
- अन्य हवाई अड्डों पर अस्थायी गोदामों की सुविधाओं का सृजन।
- प्रोजेक्ट-पंहुच-यात्रियों के कार्गो को खाली करने के लिए उनको डिलीवरी एवं सहायता के लिए लगातार आधार पर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए एक समर्पित टीम।
- जुलाई 2020 में कागजातों के इलेक्ट्रानिक जमा के लिए हवाई अड्डों पर ई-डिलीवरी तथा ई-गेट पास का आरंभ।
- वैश्विक एवं घरेलु आपूर्ति चेन एवं उत्पादन लाइनों के व्यवधानों के कारण भारतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं (अस्पताल, लेब्रोरेट्री), सहायता ऑपरेशन में लगी एनजीओ) तथा विनिमार्ण क्षेत्रों के सन्मुख आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए दी गई विभिन्न प्रकृति (परिधान, विनियमक तथा लॉजिस्टिक) के रियल-टाईम समाधान।
- अतर्राष्ट्रीय चिकित्सा एवम् पीपीई आवश्यकताओं की उपलब्धता:- सिंगापुर/चीन से भारत तक 2817 मी.ट. के साथ 121 मालवाहक सह-पी2सी के जरिये 158,000 पैकेट लाए गए।
- कार्गो टर्मिनल पर आयात कार्गो भण्डार के लिए ई.टी.वी. के प्रभावी उपयोग, चयनित स्थानों पर आयात कार्गो के रुकने के लिए कस्टम एवम् सीआईएसएफ के रुप में टाई अप

- बेली-होल्ड कार्गो क्षमता में कमी को पूरा करने कि लिए हवाई माल वाहक प्रचालन की मांग में हुई बढ़ोतरी में सहयोग।
- सभी तापमान-नियंत्रित कार्गो के लिए त्वरित-कनेक्ट को सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित टीम।

बंदरगाह और नौवाहन

8.46 पत्तन एवं नौपरिवहन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन के लिए एक मजबूत साधान है। ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की लागत तथा बंदरगाह पर प्रतीक्षा अवधि को भी कम करता है। भारत में, नौ परिवहन द्वारा किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा (मूल्य) लगभग 95 प्रतिशत (68 प्रतिशत) है।

8.47 भारत में 7500 किलामीटर की समृद्ध तटीय रेखा है तथा अंतर्राष्ट्रीय समृद्ध व्यापार मार्गों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है। नौपरिवहन जल मार्ग का संभावित लाभ लेने के लिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने देश में बंदरगाह-लिंक वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए और व्यापार की लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए महत्वकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम का आरंभ किया है।

8.48 सागरमाला कार्यक्रम ने चार स्तंभ के अंतर्गत 500+ परियोजनाओं की पहचान की है- 211 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं, 200 बंदरगाह कनेक्टीवीटी परियोजनाएं, 32 बंदरगाह-लिंक औद्योगिकीकरण परियोजनाएं, तथा 62 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं, जो बंदरगाह-विकास के लिए अवसरों को खोज सकती हैं तथा इससे 3.59 लाख करोड़ रुपये से अधिक बुनियादी निवेश करने का अनुमान है। जूलाई 2019 से अक्तूबर 2020 के बीच 8461 करोड़ रुपये की 37 सागरमाला परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनमें 2721 करोड़ की लागत वाली 17 बंदरगाह आधुनिकीकरण परियोजनाएं, 5372 करोड़ की लागत वाली 14 बदंरगाह कनेक्टीवीटी परियोजनाएं, तथा 368 करोड़ वाली 6 तटीय सामुदायिक विकास परियोजनाएं शामिल है।

8.49 भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संस्थापित क्षमता मार्च, 2014 में 871.52 एमटीपीए की तुलना में, मार्च, 2020 में बढ़कर 1534.91 एमटीपीए हो गई है। 2018-19 के दौरान प्रमुख बंदगाहों ने 704.92 एमटी कार्गो (Traffic) को संचालित (हैंडल) किया गया है। भारत सरकार मशीनीकरण, डिजिटलीकरण और प्रक्रिया सरलीकरण के माध्यम से प्रमुख बदंरगाहों की परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है। औसत टर्नअराऊंड समय में, 2010-11 में 107.23 घन्टे तथा 2014-15 में 96 घंटे की तुलना में (चित्र-32) 2019-20 में सुधार कर 62.11 घन्टे हो गया है। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में ''औसत आडटपुट प्रति शिप-बर्थ-दिवस' 15,333 टन से बढ़कर 16,541 टन हो गया है (चित्र 33) पूर्वधारणा के विपरीत, बंदरगाह जो कुल ट्रेफिक में अधिक योगदान देना हैं वह उच्च टर्नओवर टाईम है, साक्ष्य सुझाने है कि औसत टर्नओवर टाईम बंदरगाह द्वारा हेंडल किए गए ट्रेफिक की मात्रा से महत्वपूर्ण रुप से सम्बन्धित नहीं हैं। (चित्र-33)। कुल ट्रेफिक के होते हुए भी कुछेक बड़े बंदरगाह हैं ऐसे भी हैं जो टर्नअरांण्ड के संदर्भ में भी समक्षम है।

रेल

8.50 सिंगल प्रबंधन के तहत भारतीय रेल (आई.आर.) 67,580 कि॰मी॰ से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वित्त वर्ष 20 के दौरान, भारतीय रेल ने 1.2 बिलियन टन माल और 8.1 बिलियत यात्रियों का वहन किया है जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक बनाता है। आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखकर और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता के मानक को बरकरार रखकर भारतीय रेल ट्रेन के टकराव को टालने के लिए और ट्रेनों के वास्तविक समय प्रबंधन को समर्थ करने के लिए सिग्नल प्रणाली में विशिष्ट देशी प्रणालियों के विकास को शामिल कर प्रौद्येगिकी परिवर्तनों को अंगीकृत करते हुए परिवहन संबंधी सुरक्षा, क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक साधन उपलब्ध करने का प्रयास करती है।

चित्र 32 भारत प्रमुख पोत-पत्तनों के ट्रेफिक एवम् टर्नओवर समय

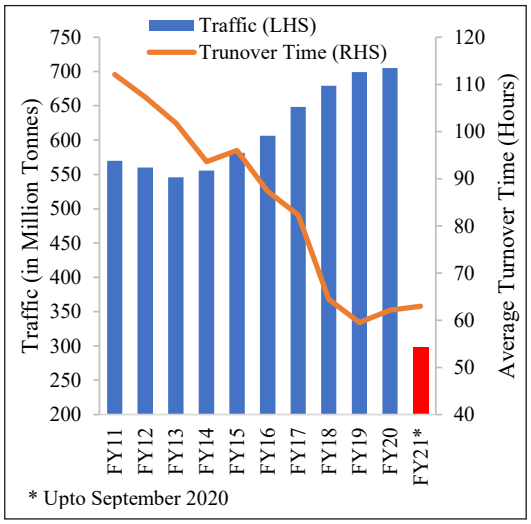

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

चित्र 33 ट्रेकिक की मात्रा तथा टर्नओवर टाईम के बीच सम्बधता

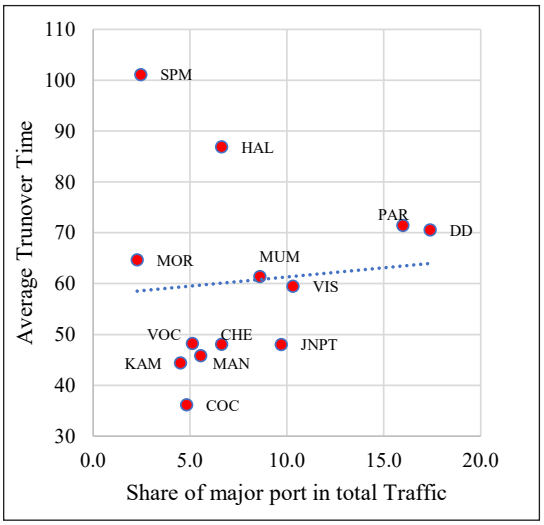

स्रोत: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान

8.51 वित्त वर्ष 2020 में भारतीय रेल द्वारा माल लदान से अर्जित होने वाला राजस्व वित्त वर्ष 2019 से 1.1 प्रतिशत की कमी के साथ 12,084 लाख टन से प्राप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2019 की तुलना में (–) 4.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020 में यात्री संबंधी यातायात 80,857 लाख था (चित्र 34 और 35)।

8.52 भारतीय रेल ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए एक अनवरत आधार पर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कई उपाय किया है। इसके परिणामस्वरूप, उसी अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा वहन किए गए यातायात परिणाम में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद आनुषंगिक रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वित्त वर्ष 2017 में 104 से वित्त वर्ष 2020 में 55 तक की कमी आई है (तालिका 11)।

चित्र 34: यातायात (लाख टन) से उत्पन्न होने वाली माल लदान संबंधी राजस्व आय (कोंकण रेल द्वारा लदान को छोड़कर)

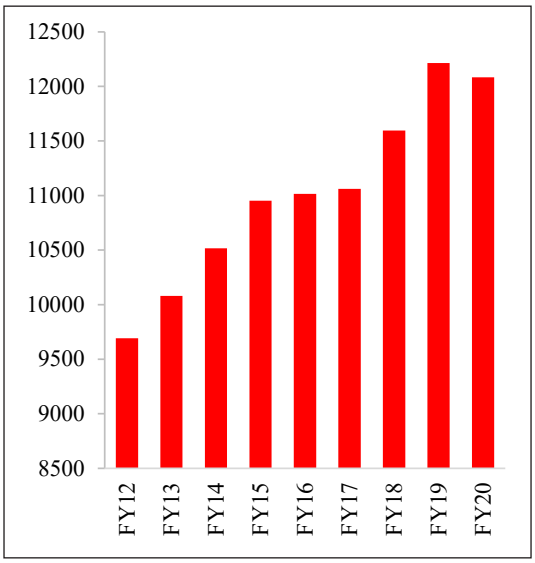

चित्र 35: उदभूत यात्री (लाख में) और यात्री से उत्पन्न आय (करोड़ रु॰) (मेट्रो रेल/कोलकाता सहित)

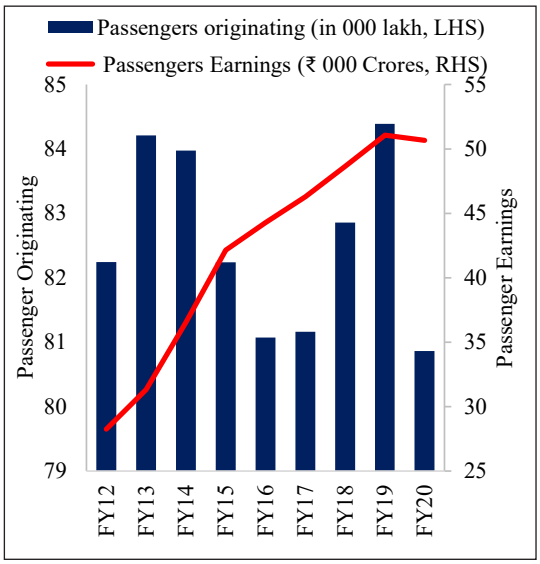

स्रोत: रेल मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण/परिकलन।

8.53 2 अक्तूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारतीय रेल ने एक विशेष स्वच्छता अभियान आरम्भ किया। स्वच्छता अभियान के तहत, सभी यात्री कोच में बायो-टॉयलेट्स लगाया है। स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत के तहत किए गए विकास को तालिका 12 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 11: रेल दुर्घटनाएं होने की दर

	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21*
Collisions	5	3	0	5	1
Derailments	78	54	46	40	7
Manned Level Crossing	0	3	3	1	1
Unmanned Level Crossing	20	10	3	0	0
Fire	1	3	6	8	1
Miscellaneous	0	0	1	1	0
Total	**104**	**73**	**59**	**55**	**10**

* 24 नवम्बर, 2020 तक

स्रोत: रेल मंत्रालय।

तालिका 12: स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत की प्रगति

	Progress As on		
Activity	**Mar-15**	**Mar-20**	**Oct-20**
Bio-toilets in passenger coaches (number)	19746	245400	ALL
Mechanized cleaning contracts (at stations)	584	953	950
Plastic bottle crushing machines (number)	Nil	315	503
Plastic bottle crushing machines (at stations)	Nil	229	370
CCTV monitoring (at stations)	250	585	630
On board housekeeping service (pairs of trains)	525	1060	1100
Environment Management System (ISO: 14001) certification to Railway Stations	Nil	250	590
Funds allocated for station sanitation (₹ crores)	294	778	424

स्रोत: रेल मंत्रालय

8.54 भारत सरकार ने ''नया भारत नई रेल'' संबंधी नई पहल के तहत निर्मित पी.पी.पी. के जरिए रेल में परिचालन के लिए निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी है। इस पहल से निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रु॰ के निवेश को संचित करने की आशा की जाती है। रेल मंत्रालय ने निजी साझेदारी से 151 आधुनिक ट्रेन के सेट्सया रेक्स का सूत्रपात करने के लिए 150 जोड़ी से अधिक ट्रेन सेवाओं का अभिनिर्धारण किया है। निजी सत्वों पर इन ट्रेनों को वित्त पोषित करने, खरीद करने, परिचालित करने और और इनका रख रखाव करने की जिम्मेदारी होगी और उनके पास इनके यात्रियों से वसूले जाने वाले भाड़े (किराए) पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होगी। जो निजी सत्व इस परियोजना को शुरू करेंगे, उन्हें दो-चरण वाली बोली लगाने की प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए चुना जाएगा। बोली लगाने वाली इस प्रक्रिया को मई 2021 तक पूरा किए जाने की आशा की जाती है और इन निजी ट्रेनों को 2023-24 में शुरू किए जाने की संभावना की जाती है।

8.55 दूध, मांस और मछली सहित खराब होने वाले और कृषि उत्पाद का वहन करके बेहतर बाज़ार अवसर उपलब्ध

करने के लिए केंद्रीय बजट 2020-21 में किसान रेल सेवाओं को संचालित करने की घोषणा की गई है। किसान रेल सेवा को आरम्भ करने के लिए कृषि मंत्रालय, राज्य सरकार, और स्थानीय निकाय सहित रेल ने विभिन्न पणधारियों का सक्रियता से अनुशीलन किया है। रेल ने अब तक तेरह रुटों में किसान रेल सेवा परिचालित किया है। 8 जनवरी 2021 तक, 34,000 टन से अधिक माल का वहन करते हुए, किसान रेल के कुल 120 दौरा परिचालित किया है।

8.56 कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान, सभी यात्रियों का वहन करने वाली ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया था, जिससे उन आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को पूर्णत: रोक दिया गया था, जिन्हें पार्सल सेवाओं द्वारा स्थानान्तरित किए जाते थे। पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल ने समय-तालिका वाली पार्सल विशेष ट्रेन सहित पार्सल विशेष ट्रेन सेवाएं शुरू की हैं। 31 मार्च 2020 को भारतीय रेल ने समय-तालिका वाली पहली पार्सल विशेष ट्रेन शुरू की थी।

8.57 यद्यपि यात्रियों को ले जाने वाली ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू की गई है, फिर भी इन समय तालिका वाली विशेष ट्रेन सेवाओं को जारी रखा गया। 25 दिसम्बर, 2020 तक, भारतीय रेल ने 7,267 पार्सल विशेष ट्रेनों का परिचालन किया है, जिनमें से 7,014 समय-तालिका संबंधी-सेवाएं थीं। इन सेवाओं के माध्यम से, लगभग 6.6 लाख टन माल की ढुलाई की गई थी।

8.58 अवसंरचना और रोलिंग स्टॉक दोनों की मांग से अधिक क्षमता विकसित करने के लिए, रेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय रेल योजना (एन.आर.पी.) को विकसित किया है। यह 2050 तक परियोजित यातायात संबंधी मांग को पूरा करने के लिए 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना को विकसित करने का लक्ष्य रखता है। एन.आर.पी. ने एक सामान्य प्लेटफार्म पर इस देश की समस्त परिवहन अवसंरचना की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसने सभी तरीकों से वहन किए गए मौजूदा यात्रियों और माल का मूल्यांकन कर 2030 से 2050 की अवधि के लिए वृद्धि का आंकलन भी किया है, उसके बाद रेल की महत्वपूर्ण मॉडल शिफ्ट की रणनीति तैयार किया है। माल संबंधी रेल के मॉडल शेयर में 27 प्रतिशत से 45 प्रतिशत तक वर्तमान स्तर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं को फंड प्रदान करने के लिए नवोन्मेषी वित्तीय प्रणाली का यत्न किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) पर्याप्त अधिस्थगन अवधि के साथ संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है और इन परियोजनाओं को इस अधिस्थगन अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं को इस प्रकार नियोजित किया जा रहा है, जिससे कि ये इस सेवा के लिए पर्याप्त रिटर्न दे सके।

दुरसंचार क्षेत्र

8.59 दूरसंचार क्षेत्र जेएएम-ट्रीनिटी (जनधन आधार मोबाइल) आधारित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सरकार की अन्य विकास-समर्थक पहलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र को दुनियाभर में विकास और गरीबी को कम करने के शक्तिशाली उपकरण के रुप में मान्यता दी गई है। भारत सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया अभियान के एक भाग के रुप में ''सभी के लिए ब्रॉडबेन्ड पर काफी जोर दिया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक तक समावेशी इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाकर डिजिटल-डीवाईड को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उपयोगकर्ताओं तथा उनका सम्पूर्ण विवरण चित्र-34 में सक्षेपित किया गया है। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर वायरलेस टेलीफोनी की हिस्सेदारी 98.29 प्रतिशत है जबकि लेंडलाईन टेलीफोन अब केवल 1.71 प्रतिशत ही रह गया है। भारत में कुल टेलीघनत्व अक्टूबर 2020 के अंत तक 86.37 प्रतिशत पर थी, जबकि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टेलीघनत्व क्रमश: 58.85 प्रतिशत तथा 138.97 प्रतिशत था।

8.60 इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में तीव्र गति से प्रवेश किया है। इन्टरनेट उपभागताओं की संख्या (ब्रॉडबैंड तथा नेरोबेन्ड दोनो) की संख्या मार्च-2019 में 636.73 मिलीयन की तुलना में सितम्बर,

2020 के अंत तक 776.45 मिलीयन पर पहुंच गई है। वायरलेस डाटा का उपयोग केलेण्डर वर्ष 2019 के दौरान घातीय दर से बढ़ा ओर 76.47 एक्साबाईट्स पर था। जनवरी-सितम्बर 2020 के दौरान ही यह पहले से ही 75.21 एक्साबाईट पर पहुंच गया (चित्र-35)। प्रतिग्राहक प्रति माह औसत वायरलेस डेटा की खपत मार्च 2019 में 9.1 जीबी से बढ़कर जून-2020 में 12.2 जीबी हो गई (चित्र 38)। डाटा की लागत को तीव्र गति पर सस्ते इंटरनेट की पहुंच को उपलब्ध करा कर कम किया जा सकता है। जून 2020 की स्थिति के अनुसार, वायरलेस डेटा की लागत 10.55 प्रति जीबी पर थी।

8.61 भारत सरकार ने डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत नेट सहित विभिन्न पहल की है। इस परियोजना के तहत नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थानों को गैर-विपणनकारी आधार पर ब्राडबेंड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ब्रॉडबेंड हाईवे के नेटवर्क ढांचे की स्थापना राज्य तथा निजी क्षेत्र की साझेदारी के साथ की जा रही है। 15.01.2020 की स्थिति के अनुसार 1.63 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) में लगभग 4.87 लाख किलोमीटर की ओएससी (ओपटीकलफाइबर केबल) विछायी गई है तथा लगभग 1.51 लाख ग्राम पंचायतों में सेवाएं तैयार हो गई है।

चित्र-36: टेलीफोन तथा वायरलेस कनेक्शन की संख्या व उनका विवरणों (मिलियन में)
(सर्वेक्षण टीआरएआई के आंकड़ों पर निर्धारित है।)

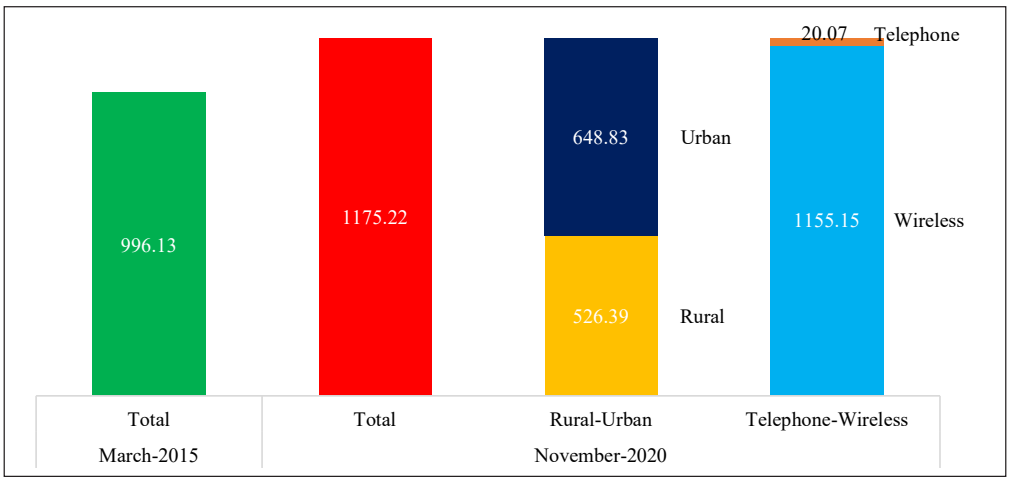

Source: Survey calculations based on DoT data.

Figure 37: Wireless Data Usage (In Exa Byte)

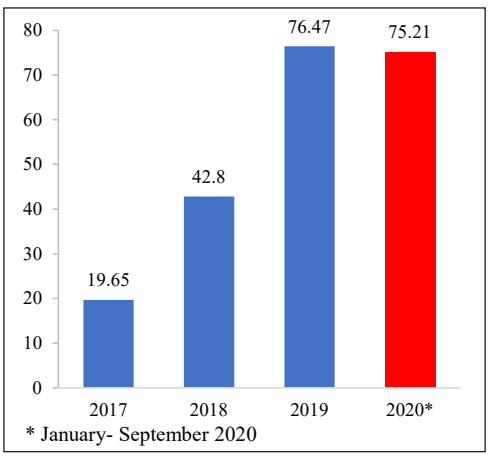

स्रोत: टी आर ए आई डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान।

Figure 38: Average Wireless Data usage Per Subscriber per Month (in GBs)

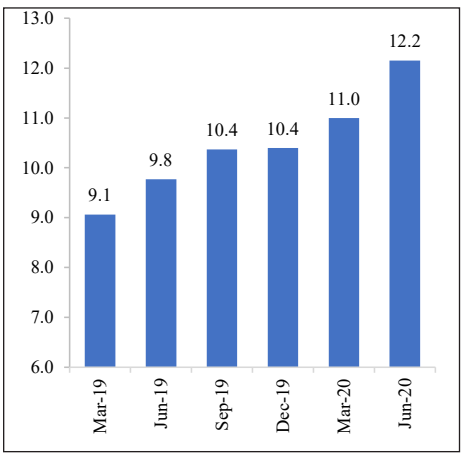

स्रोत: टी आर ए आई डाटा के आधार पर सर्वेक्षण अनुमान।

पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस:

8.62 भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। भारतीय ऊर्जा खपत बासकेट में, विश्व की प्राथमिक ऊर्जा खपत में 5.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ कोयले और कच्चे तेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। कच्चे तेल का उत्पादन वित्त वर्ष -20 में घटकर 32.17 मिलीयन मीट्रीक टन (एमएमटी) हो गया है, जबकि यह वित्त वर्ष-19 में कुल कच्चे तेल का 34.20 मिलियन टन तथा ओएनजीसी से धनीभूत उत्पादन 64.1 प्रतिशत, ओआईएल से 9.7 प्रतिशत तथा उत्पादन शैयर अनुबंध (PSC) रिजीन से 26.2 प्रतिशत था। वित्त वर्ष 21 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान, तेल उत्पादन में वित्त वर्ष 20 की तदनुरूप अवधि की तुलना में 5.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। यह गिरावट मुख्य रूप से कोविड-19 के प्रसार के कारण है। (चित्र 39) अतएव, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ उत्पादन के सामान्य स्तर पर पहुंचपने का अनुमान है।

8.63 वर्ष 2019-20 के दौरान प्रकृतिक गैस का उत्पादन 31.18 बिलियन क्यूसिक मीटर (BCM) था, जबकि 2018-19 में यह 32.87 बीसीएम था (चित्र 40)। प्राकृतिक गैस के कुल उत्पादन में, ओएनजीसी का 76.1 प्रतिशत, ओआईएल का 8.6 प्रतिशत तथा पीएससी रिजिम से 15.3 प्रतिशत था। अप्रेल-दिसंबर 2020 के दौरान गैस उत्पादन 21.13 बीसीएम था जोकि इस को अनुगामी वर्ष 20 की तुलना में 11.3 प्रतिशत कम था।

चित्र 39: कच्चे तेल का मासिक उत्पादन (एम एम टी)

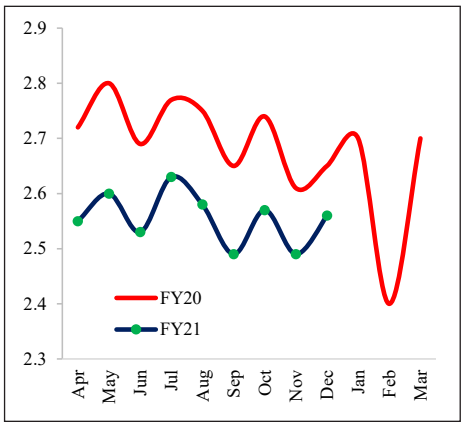

स्रोत: सर्वेक्षण एमओपीएमजी आंकड़ों पर आधारित है।

चित्र 40: प्राकृतिक गैस का मासिक उत्पादन (बीसीएम)

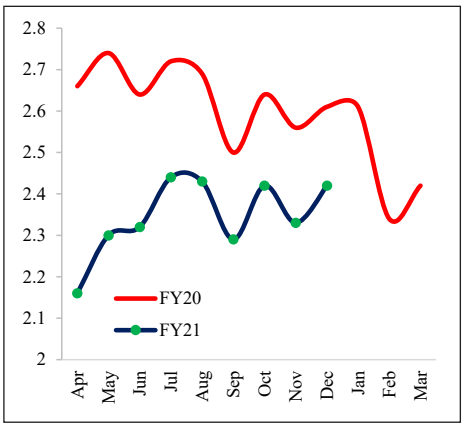

स्रोत: सर्वेक्षण एमआपीएमजी आंकड़ों पर आधारित है।

8.64 संसाधित कच्चे तेल वर्ष 2020 में 254.39 एमएमटी पर था जो कि वर्ष 2019 में 257.20 एमएमटी पर था। यह 1.1 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। 2020 के दौरान, गुणवत्ता उन्नयन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकतर शोधनशालाओं को बंद रखने की योजना थी। कच्चे तेल की प्रसंस्करण अप्रेल-दिसंबर, 2020 के दौरान 16.36 एमएमटी था जो कि अप्रैल-दिसंबर, 2019 के दौरान कच्चे तेल के प्रसंस्करण से 15.8 प्रतिशत कम है। तथा सरकार ने निर्धन परिवारों को 14 करोड़ नि:शुल्क एलपीजी सलेंडर वितरति करने बहु प्रतिक्षित सहायता प्रदान की तथा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी देशभर निर्बोध निरंतर ईंधन आपूर्ति जारी रखी

ऊर्जा

8.65 विद्युत आर्थिक गतिविधि के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है तथा विद्युत की आवश्यकता फर्सत के समय में भी है। ऊर्जा क्षेत्र मांग (सार्वभेमिक विद्युतीकरण) तथा आपूर्ति-पक्ष (हरित ऊर्जा के आगमन) दोनो के पर्याप्त परिवर्तन का साक्षी है। भारत में बिजली उत्पादन और उसके प्रसारण में सरहानीय प्रगति हुई है। कुल स्थापित क्षमता मार्च 2019 में 356100 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2020 में 370106 मेगावाट हो गई है। इसके अलावा, अक्टूबर 2020 में उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,73436 मेगावाट हो गई और इसमें 231321 मेगावाट थर्मल,

45699 मेगावाट हाइड्रो, 6780 मेगावाट परमाणु, और 89636 मेगावाट नवीकरणीय और अन्य शामिल है। वर्ष 2019-20 में बिजली क्षमता में हुई वृद्धि मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए सहयोग के कारण थी। (चित्र 41)

8.66 भारत में बिजली की कमी को ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी तथा ऊर्जा तीव्रता में सुधार कर पूरा किया जा सकता है। ऊर्जा तीव्रता को आउटपुट की इकाई उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसलिए विद्युत की तीव्रता को कम करना बेहतर है। भारत में विद्युत तीव्रता (2011-12 की कीमतों में) 2011-12 में 65.6 टोस प्रति करोड़ रुपये से घटकार 2018-19 में 55.43 टोस प्रति करोड़ हो गई (चित्र-42) प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 0.47 टोस से बढ़कर 2018-19 में 0.58 टोस हो गई।

8.67 2014 में, भारत सरकार ने 32.612 करोड़ रु. के मूल परिव्यय के साथ शहरी क्षेत्रों ने गुणवत्ता और विश्वसनीय 24x7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य उपयोगिता को सुविधाजनक बनाने के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS) को मंजूरी दी है। अब तक राज्य में 30,991 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और वितरण सुदृढ़ीकरण सितम्बर 2020 के अब तक 442/546 सर्किलों में पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 6 ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में देश पहले ही दो प्रमुख लक्ष्यों को पूरा कर चुका है:- (1) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 100% ग्रामीण विद्युतीकरण (ii) प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण।

चित्र-41:- उर्जा में क्षमता बढ़ोतरी (एम डब्ल्यु में)

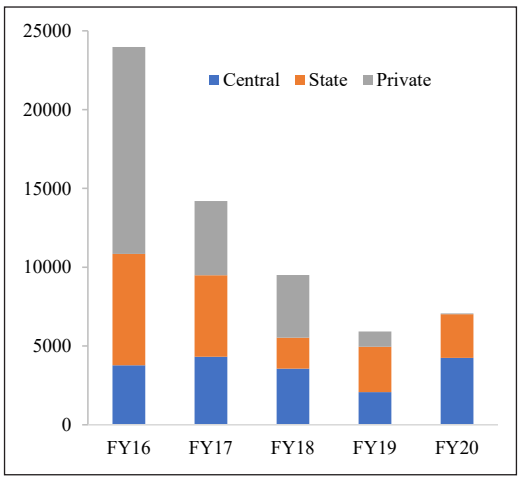

स्रोत: सर्वेक्षण विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित है।

चित्र-42:- उर्जा तीव्रता एवं प्रतिव्यक्ति उपयोग का विवरण (2011-2019)

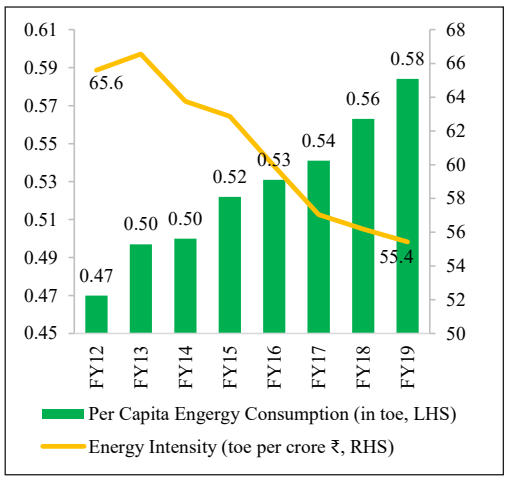

स्रोत:- सर्वेक्षण अनुमान ऊर्जा मंत्रालय के आकड़ों पर आधारित है।

8.68 टी एंड डी हानियों में 2001-02 से लगातार कमी हो रही है परंतु अभी भी उनकी मात्रा काफी है (चित्र 44)। सहयोगी देशों की टी एंड डी हानियों की तुलना में भारत की टी एंड डी काफी उच्च हैं (चित्र 43)

खनन क्षेत्र

8.69 खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो परिमित और गैर-नवीकरणीय है और ये समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत 95 खजिनों का उत्पादन करता है, जिसमें हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज (कोयला,लिग्नाइट पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस) 5 परमाणु (इल्मेनाइट, रुटाईल, जिरकॉन, यूरेनियम एवं मोनाजाईट), 10 धात्विक, 21 गैर-धात्विक एवं 55 छोटे खजिन शामिल है। 2019-20 में खनन और उत्खनन क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) 393102 करोड़ (वर्तमान कीमत पर) था जो 2019-20 के दौरान कुल जीवीए का लगभग 2.14 प्रतिशत है। 2019-20 में प्रमुख खनिजों का उत्पादन 2018-19 में 22.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2.3 प्रतिशत अधिक था। खनन के क्षेत्र में हाल ही के वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर अन्वेषण और उपयोग हुआ है। (बॉक्स-7)

Figure 43: T&D Loss of India vis-à-vis other countries

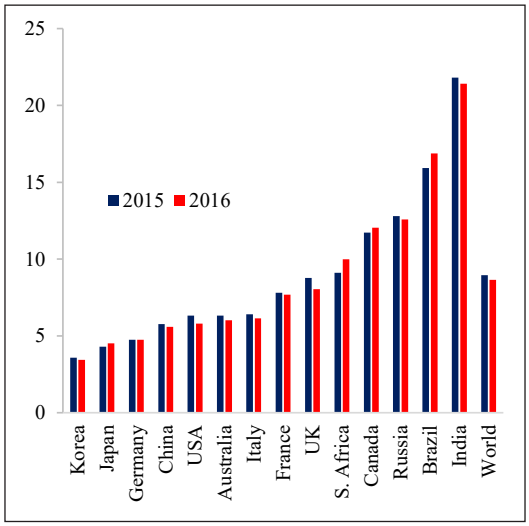

Source: Survey calculations based on CEA report.

Figure 44: T&D Loss of India Since Independence

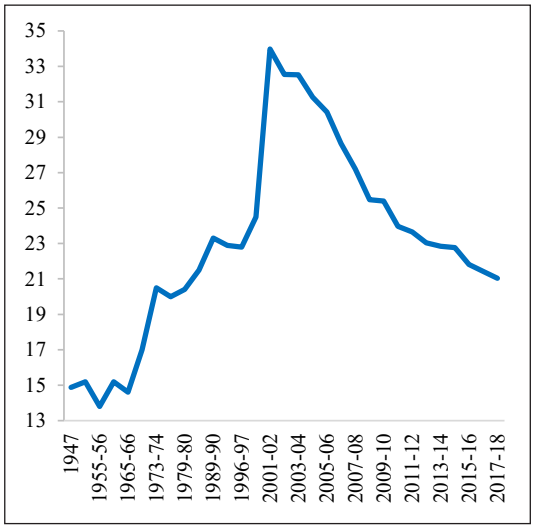

Source: Survey calculations based on CEA report.

बॉक्स-9: खनन के क्षेत्र में नीतिगत पहल

2015 में खनन एवं उत्खनन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर एक्ट) संशोधन के साथ इस क्षेत्र में बेड सुधारों की शुरूआत हुई। पहले आओ पहले पाओ की पुरानी पद्धति के विपरीत नीलामी के माध्यम से खनिज रियायत की मंजूरी देने की विधि से खनिज रियायत की मंजूरी देने में विवेकाधिकार को हटाया तथा पारदर्शिता आई। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) की स्थापना; 50 वर्षों की समान लीज अवधि; केन्द्र सरकार द्वारा परमाणु खजिनों, कोयला तथा लिग्नाईट के अलावा खनिज रियायतों के अनुदान के लिए दी गई पिछली मंजूरी की आवश्यकताओं का वितरण; जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना लोगों के भले तथा खनन से प्रभावित क्षेत्रों के अन्वेषण को प्रोत्साहन देने के लिए की गई।

हाल ही में, भारत सरकार के निम्नलिखित विधायिका एवं नीतिगत सुधार उपाय किए हैं।

एम एम डी आर अधिनियम में संशोधन जनवरी 2020 में, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी ब्राउनफिल्ड खानों के लिए दो वर्ष की अवधि तक नए पट्टेदारों को पुरानी लीज के साथ सभी वैध-वैधानिक निकासी के हस्तातरण के लिए किया गया था। ताकि उद्योग में उत्पादन व कच्चे माल की आपूर्ति के वितरण में कोई व्यवधान न हो।

- राज्यों को नीलामी से पहले मंजूरी की जरूरत होगी। इसके परिणामस्वरूप, उत्पादन बिना किसी विलम्ब के शुरू हो सकता है। इस विचार के क्रियान्वयन के लिए, खान मंत्रालय ने (एम ओ ई एवं सी सी) तथा राज्यों के साथ परामर्श के साथ 3.6.2020 को पूर्व-सांविधिक वैधानिक मंजूरी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, भारत सरकार ने 16.5.2020 को अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख पहलों की घोषणा की है जिसमें शामिल हैं– (1) एक सहज समग्र अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन प्रक्रिया की शुरूआत (2) खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माधयम से 500 खदान ब्लॉकों की नीलामी (3) बॉक्साईट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी (4) केन्द्रीय एवं गैर-केन्द्रीय खदानों की बीच के अंतर को खतम करना तथा (5) विभिन्न खनिजों के लिए मिनरल इंडेक्स और स्टाम्प ड्यूटी की वसूली।
- इन संरचनात्मक सुधारों का उद्देश्यों सामान्य रूप से अभिवृद्धि, रोजगार तथा खनन क्षेत्र में स्टेट ऑर्ट तकनीक को लाना तथा विशिष्ट रूप से अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
- भारत सरकार देश में एल्युमिनियम और कॉपर के आयात की निगरानी के लिए ''एल्यूमीनियम आयात निगरानी प्रणाली (AIMS) तथा कॉपर आयात निगरानी प्रणाली (CIMS) को स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

- एआईएमएस (एम्स) और सीआईएमएस (सीम्स) का उद्देश्य एल्यूमीनियम और कॉपर के आयात के बारे में पर्याप्त जानकारी होना है जिससे कि एक उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेप को देश के भीतर समय से पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत क्षमता निर्माण के लिए तैयार किया जा सके।
- पहली बार, भारत सरकार ने, 1.4.2020 से प्रभावी एनएफईटी से वित्तपोषित अन्वेषण परियोजनाओं के लिए लागू अनुसूचित/प्रभार (शुल्क)(SOC)को अनुमोदित किया है।

आवास एवं शहरी अवसंरचना

8.70 भारत विश्व में सबसे त्वरित गति से शहरीकरण की और बढ़ने वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगण ना के अनुसार भारत के शहरों की जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, जिसका 2030 तक लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है। भारत में शहरीकरण महत्वपूर्ण एवं अपरिवर्तनीय बन गया है और यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। हालांकि शहर विकास के वाहक हैं तेजी हो रहे शहरीकरण के मार्ग में आधारभूत अवसंरचना सेवाएं जैसे कि पानी की आपूर्ति, साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन तथा गन्दे पानी का प्रबंधन प्रमख चुनौतियां हैं।

8.71 भारत सरकार शहरी गरीबों की सामाजिक और व्यावसायिक कमियों को दूर करने के लिए सभी वैधानिक शहरों में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन क्रियान्वित कर रही है। मिशन के अंतर्गत, शहरी गरीबों को स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान कराकर स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने में सहायता दी जाती है। मिशन शहरी बेघरों के लिए आश्रय प्रदान करता है और फेरी लगाने वाले विक्रेताओं (ैजतममज टमदकमत) के लिये अवसंरचना भी प्रदान करता है। 31 अक्टूबर 2020 तक राज्यों/केंन्द्रशासित प्रदेशों को 3,378 करोड़ रु. जारी किए गए है और 9.9 लाख लाभार्थियों को कौशल और प्रशिक्षण दिया गया है और उनकी रोजगार क्षमता के लिए इन्हें प्रमाणित किया गया है। इसमें से 5.3 लाख कौशल-प्रशिक्षितों को स्वरोजगार और वेतन आधारित रोजगार दिया गया है।

8.72 प्रधानमन्त्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी एन एस वी ए निधि) को आत्म निर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, कोडिन-19 लॉकडाउन के पश्चात् स्ट्रीट वेन्डर को उनके व्यावसाय को पुनः आरंभ करने के लिए माईक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आरंभ किया गया था। यह योजना उन 50 लाख से अधिक स्ट्रीक वैंडरों को लाभांवित करने का लक्षय रखती है, जो 24 मार्च 2020 से पहले, शहरी क्षेत्रों सहित अर्ध-शहरी/ग्रामिण क्षेत्रों में वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर 10,000 तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं, जो एक वर्ष की मासिक किश्तों में चुकाना होता है। ऋण का समय पर/शीघ्र चुकौती पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रत्येक तिमाही में से लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा किया जाता है। यह योजना 01 जून, 2020 को शुरू की गई थी और 2 जुलाई, 2020 से इसका संचालन शुरू किया गया था। 9 नवम्बर 2020 तक 26.48 लाख ऋण आवेदनों में से 13.70 लाख से अधिक स्वीकृत किए गए और 6.30 लाख से अधिक ऋण वितरित किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा तैयार करने और विभिन्न केन्द्रीय कल्याण योजनाओ के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए उनकी योग्यता का आंकलन करने का काम प्रक्रियाधीन है ताकि इन योजनाओं तक उनको जोड़ा जा सके।

8.73 प्रधानमन्त्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) 2022 तक हाउसहोल्ड को पक्का घर प्रदान करने के लिए एक विजन प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक इसमें 109 लाख घरों को मंजूरी दी चुकी है जिनमें से 70 लाख घरो का निर्माण हो चुका है।

भारत सरकार ने बजटीय आबंटन तथा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत ईबीआर (EBR) के माध्यम से वर्ष 2020-21 में 18000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय किया है और आत्मनिर्भर भारत 3.9 के तहत स्कीम के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन भी जुटाने का लक्ष्य हैं इसके अतिरिक्त पी एम ए वाई के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्स (एआरएचसी) उप स्कीम प्रवासी मजदूरों के कार्य के स्थान के निकट अफोर्डेबल किराए का घर उपलब्ध करवाने की जरूरतों को पूरा करने के लिए आरंभ की गई।

8.74 आवासन निर्माण के लिए नवोन्मेष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जनवरी 2021 को लाईट हाउस परियोजनाओं (एल.एच.पी.) की आधारशिला रखी। 1 जनवरी 2021 को इस परियोजना के अंतर्गत 790.57 करोड़ रू॰ की लागत से 6,360 मकानों के निर्माण हेतु छः एल.एच.पी., 6 स्थानों पर लखनउ, इंदौर, राजकोट, चैन्नई, रांची तथा अगरतला में ''ग्लोबल हाउसिंग टैक्नोलोजी चैलेंज इंडियां के माध्यम से पहचानी गई नवप्रवर्तनशील प्रौद्योगिकियों को उपयोग करते हुए लागू किया जा रहा है। ये एल.एच.पी. समस्त हितधारकों भारतीय संदर्भ में इन वैश्विक प्रौद्योगिकियों की मुख्यधारा में लाने के लिए लाईव लैबोरेट्री के तौर पर कार्य करेगी।

भावी परिदृष्य

8.75 कोविड-19 ने घरेलु तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रवाह डाला है। सभी क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों का अचानक स्थगित करना पड़ा था जिसके चलते अरबों लोगों को अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना पड़ा था। इस संकट प्रबंधन रणनीति में सभी हित धारकों, विशेष रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों को शामिल किया गया।इस अभूतपूर्व संकट की प्राकृति और पैमाने ने सरकार के कई सुधारवादी कार्यों में बाधा पहुंचायी, इन कार्यों में छोटी अवधी के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से संरचनात्मक सुधारों के उद्देश्य वाले सुधार भी शामिल हैं। उच्च आपूर्ति विकास संकेतकों में अचानक आई गिरावट के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से हुए सुधार को समय पर, सार्थक एवं उचित नीतिगत उपायों के माधयम से ही देखा जा सकता है।

8.76 संकट के बाद के समय में वित्त वर्ष-22 (थ्रू 22) को आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए निरंतर तथा सेलिब्रेटिड उपायों की आवश्यकता होगी। तथा इसका दीर्घ-कालिक कालानुक्रमिक विकास अर्थव्यवस्था को पुनः पहले जैसा करेगा। औद्योगिक और अवसंरचना क्षेत्र का पुनरूद्धार आर्थिक विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

8.77 वित्त वर्ष 21 को सेंट फ्रांसिस अजिसी की इन पंक्तियों में सारगर्भित किया जा सकता है ''जो जरूरी है उसे करना आरंभ करें और फिर वो करें जो संभव हों, आप यकायक पाएंगें की आप वो कर रहे हैं जो असंभव था।'' (जंम तिवउ म्दहसपेी) क्योंकि जैसा कि अलवर्ट आइंस्टाइन ने कहा है: संकट में ही समाधान का मूल है।

अध्याय एक नज़र में

- आर्थिक गतिविधि का सुदृढ़ वी-शेपड सुधार की पुष्टि अक्टूबर आईआईपी में की गई/आईआईपी एवं आठ-कोर इण्डेक्स पूर्व कोविड स्तरों पर आया है।
- आई आई पी में व्यापक आधार पर सुधार के कारण नवंबर 19 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रैल-20 में (-) 57.3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में नवम्बर 20 में (-) 1.9 प्रतिशत दर्ज गई है।
- सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि किए जाने, जिसे राजकोषीय नीति अध्याय में रेखांकित किया गया है, टीकाकरण अभियान चलाए जाने तथा लंबे समय से अपेक्षित सुधार उपायों को दृढ़ता से लागू किए जाने से औद्योगिक गतिविधियों में और तेजी एवं दृढ़ता आने की उम्मीद है। यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि हमारा देश विश्व की उन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्होंने सबसे व्यापक सुधार किए हैं।
- भारत सरकार ने एक उपचारात्मक पैकेज की घोषणा (आत्मनिर्भर भारत अभियान) की जिसमें भारत का सकल घरेलु उत्पाद का 15 प्रतिशत तक के पैकेज का प्रोत्साहन शामिल है।
- डूईगं बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर), 2020 में वर्ष 2019 के ईज ऑफ डूईंग बिजनेस सूचकांक के अनुसार 190 देशों में भारत के स्थान सुधर कर 63वां हो गया है। जो वर्ष 2018 में 77वां था। भारत ने 10 में से 7 संकेतकों में अपनी स्थिति में सुधार किया है और अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट पद्धातियों को अपनाने की ओर अग्रसर है।
- वित्त वर्ष 2019 के दौरान 44.37 बिलियन अमेरिकी डालर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के दौरान कुल एफ डी आई अंतर्वाह 49.98 बिलियन अमेरिकी डालर था। वित्त वर्ष 2021 के लिए (सितबर 2020 तक) यह आंकड़ा 30.0 बिलियन अमेरिकी डालर था। एफ डी आई ईक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा गैर-विनिर्माण क्षेत्र में आता हैं जिससे एफ डी आई प्रवाह में विनिर्माण का हिस्सा घट गया है। विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातुकर्मीय, गैर पारंपरिक ऊर्जा, रसायन (उर्वरकों के अलावा), खाद्य प्रसंस्करण, और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे उद्योग एफ डी आई ईक्विटी का बड़ा हिस्सा पाते है।
- भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यातों मे आत्मनिर्भर भारत के तत्वाधान में 10 प्रमुख सेक्टरों में भारत सरकार ने वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पी एल आई) स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम को संबंधित मंत्रालय कार्यान्वित करेंगे और इसमें सेक्टर विशेष के लिए निर्धारित की गई वित्तीय सीमाओं के साथ 1.46 लाख करोड़ रुपये का कुल व्यय होने का अनुमान है। डी बी आर 2020 के अनुसार भारत तीन वर्षों में 67 रैंक के सुधार के साथ भारत लगातार तीसरी बार शीर्षस्थ सुधारकों में से एक है।